भाग तीन : खण्ड तीन

[1]वन्य प्राणी (संरक्षण) मध्य प्रदेश - नियम 1974

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर, 1974 क्रमांक 4074-300-दस (2) 74- वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (क्र. 53 वर्ष 1972) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्-

[1]नियम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार - (1) ये नियम वन्य प्राणी (संरक्षण) मध्य प्रदेश, नियम 1974, कहे जावेंगे।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर होगा।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों, में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (क्रमांक 53, वर्ष 1972)।

(ख) 'खण्ड' से अभिप्रेत है ऐसे शिकार खण्ड जिसमें नियम 19 के अधीन किसी वनमण्डल के वनों को विभाजित किया गया हो।

(ग) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है बोर्ड का अध्यक्ष।

(घ) 'प्रारूप' से अभिप्रेत इन नियमों के संलग्न प्रारूप।

(ङ) 'अनुज्ञप्तिधारी' से अभिप्रेत है अनुज्ञप्ति का धारक।

(च) 'भारत का निवासी' से अभिप्रेत है भारत का नागरिक हो या ऐसा विदेशी जो भारत में कम से कम 5 वर्षों से लगातार निवास कर रहा हो अथवा जो केन्द्रीय शासन, राज्य शासन या केन्द्रीय शासन के उपक्रम में विशिष्ट नियत कार्य के लिये भारत आया हो, और आकस्मिक पर्यटक न हो।

---

1. नियम मध्यप्रदेश राजपत्र दि. 15 नवम्बर, 1974 भाग 4(ग) पृष्ठ 489 एवं आगे प्रकाशित हुए है।

(छ) 'अनुसूचि' से अभिप्रेत है अधिनियम में संलग्न अनुसूचि।

(ज) 'धारा' से अभिप्रेत है अधिनियम की कोई धारा।

अध्याय 2

वन्य प्राणी सलाहकार बोर्ड

3. पदावधि - धारा 6 उपधारा (1) के खण्ड 'छ' में विनिर्दिष्ट बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि उसकी नियुक्ति की तारीख से [1](एक वर्ष से कम तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं) होगी, यथापि सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

4. विशेष रूप से आमंत्रित - अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों में विशेष रूप से, विशेष, आमन्त्रियों को आमंत्रित कर सकेगा, जिनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। ये आमंत्रित दो प्रवर्गों के होंगे -

(1) स्थायी।

(2) नैमित्तिक।

यदि अध्यक्ष का यह विचार हो, कि कोई प्रख्यात जीव विज्ञानी, या वन्य प्राणी संरक्षण में रूचिबद्ध या उससे सम्बद्ध कोई अन्य व्यक्ति, जो बोर्ड के लिए उपयोग हो, तथा जिसको बोर्ड के गठन के समय नियमित के रूप में नाम निर्दिष्ट (Nominated) न किया जा सका हो और जिसे कोई रिक्त स्थान न होने के कारण अब सदस्य नहीं बनाया जा सकता हो वह ऐसे व्यक्ति को स्थाई आमन्त्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा जो किसी अन्य नियमित सदस्य की भांति, बोर्ड के समस्त सम्मेलनों तथा विचार-विमर्शों (deliberations) में भाग ले सकेगा।

ऐसे स्थायी आमंत्रित का, जब कभी सदस्य का कोई पद रिक्त हो, तो बोर्ड की सदस्यता पर पहला दावा होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को किसी बैठक में नैमित्तिक रूप से आमंत्रित किया जा सकेगा, जब अध्यक्ष का विचार हो कि ऐसे व्यक्ति या विशेषज्ञ की उपस्थिति, कार्य सूची की विशेष मद, या वन्य प्राणी सम्बन्धी किसी अन्य विषय पर परामर्श करने में बोर्ड के लिए सहायक होगी।

5. आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना - (1) जब धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) में विनिर्दिष्ट बोर्ड का कोई सदस्य, त्याग-पत्र दे या उसकी मृत्यु हो जावे, या उसे पद से निकाल दिया जावे, या वह कार्य करने में असमर्थ हो जाये, तब राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा रिक्त पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये, नियुक्त किया गया व्यक्ति उस समय तक पद-धारित करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसका स्थान वह भरता है, यदि रिक्त नहीं होती तो पद धारण करने का हकदार होगा।

6. त्याग पत्र - (1) बोर्ड का कोई भी सदस्य, अपने हाथ से त्यागपत्र लिखकर और उसे अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए अपना पद त्याग सकेगा।

(2) बोर्ड के किसी सदस्य का पद, उसका त्यागपत्र स्वीकार किये जाने की तारीख से, या त्याग-पत्र की संसूचना (Intimation) प्राप्त होने की तारीख से, तीन दिन समाप्त होने पर, इनमें से जो भी पूर्वात्तर हो, रिक्त हो जायेगा।

(3) बोर्ड के किसी सदस्य का त्याग-पत्र स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्याग-पत्र प्रतिग्रहीत करने के पश्चात् उसकी सूचना बोर्ड को उसके आगामी सम्मेलन में देगा।

7. बोर्ड से हटाया जाना - राज्य-शासन किसी भी सदस्य को, उसके पद से किसी भी समय हटा सकेगा:

(क) यदि वह विकृत चित्त (Unsound mind) हो और किसी सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हो, या

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया (Undischarge insovent) हो, या

(ग) यदि वह नैतिक अधमता को अन्तर्वलित (Moral turpitude) करने वाले किसी दण्डिक अपराध का सिद्धदोष हो, या

(घ) यदि वह अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोर्ड के तीन या अधिक सम्मेलनों में लगातार (Succesive meetings) उपस्थित होने में असफल रहा हो,

(ङ) यदि वह अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को भंग करे।

टिप्पणी - बोर्ड के सम्मेलनों में परोक्षी (Proxy) द्वारा उपस्थित नहीं हो सकेगा।

8. भत्ते - (1) शासकीय सेवकों को, राज्य नियमों के अधीन उनकी श्रेणी के लिए ग्राह्य यात्रा तथा दैनिक भत्ते प्राप्त होंगे। बोर्ड के अशासकीय सदस्यों तथा विशेष रूप से आमन्त्रित अतिथियों को राज्य के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को ग्राह्य यात्रा तथा दैनिक भत्ते प्राप्त होंगे।

(2) जहाँ रेल द्वारा वापसी यात्रा के लिए रियायती टिकट अनुज्ञात हों यात्रा भत्ता वापसी टिकट (Return ticker) की वास्तविक लागत तथा प्रासंगिक व्यय तक ही सीमित होगा।

(3) (क) राज्य विधान सभा के किसी सदस्य को जो बोर्ड का सदस्य हो, रेल या सड़क द्वारा यात्रा के सम्बन्ध में कोई किराया नहीं चुकाया जायेगा, यदि वह ऐसी यात्राओं के लिये नि:शुल्क कूपनों का हकदार है,

(ख) यदि बोर्ड का सम्मेलन, विधान सभा सत्र के दौरान और उसी स्थान पर आयोजित किया गया हो जहां ऐसा सत्र चल रहा हो, तो विधान सभा के उस सदस्य को, जो बोर्ड का सदस्य हो, को किसी भी यात्रा और दैनिक भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

9. सचिव नियन्त्रण प्राधिकारी होगा - इस अध्याय के अधीन, भत्तों के संदाय के सम्बन्ध में बोर्ड का सचिव नियन्त्रण प्राधिकारी होगा।

10. कोरम - बोर्ड की बैठक के लिए 33% सदस्यों की संख्या से गणपूर्ति (Quorum) होगी।

अध्याय 3

वन्य पशुओं का शिकार

(क) विशेष आखेट अनुज्ञप्ति, बड़ा आखेट अनुज्ञप्ति और छोटा आखेट अनुज्ञपित

11. आवेदन पत्र - (1) विशेष आखेट अनुज्ञप्ति, बड़ा आखेट अनुज्ञप्ति और छोटा आखेट अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र प्रारूप 1 में दिया जायेगा :

परन्तु धारा 34 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति से अनुज्ञप्ति का आवेदन तब तक ग्रहण (entertained) नहीं किया जावेगा, जब तक कि आवेदक, उक्त धारा के अधीन, अपना नाम तथा पता रजिस्ट्रीकृत नहीं करा लेता-

परन्तु यह और भी कि इस अध्याय के अधीन कोई भी व्यक्ति तब तक आवेदन नहीं करेगा जब तक कि उसके पास आर्म्स रूल्स, 1962 (Arms Rules, 1962) की अनुसूचि (Schedule) III (तीन) में दर्शाये फार्म III में शिकार की वैध अनुज्ञप्ति न हो।

(2) (क) विशेष आखेट अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक को किया जावेगा।

(ख) बड़ा आखेट अनुज्ञप्ति या छोटा आखेट अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक (Wild Life Warden) या कलेक्टर (जिसे असके पश्चात् अनुज्ञप्ति जारी करने वाला अधिकारी (Issuing Officer) कहा गया है।) को किया जा सकेगा।

नोट - समस्त क्षेत्रीय वन मण्डल के प्रभारी वन मण्डलाधिकारियों को वन्य प्राणी अभिरक्षक नियुक्त किया गया है।

12. फीस - नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग (Category) की किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र के साथ यह दर्शाते हुए कि उक्त सारणी के कालम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि (Corresponding entry) में विनिर्दिष्ट मान के अनुसार फीस संदत्त की जा चुकी है कोषागार चालान प्रस्तुत किया जावेगा :

अनुज्ञप्ति का नाम (1)	वार्षिक अनुज्ञप्ति के फीस (रूपये में) (2)	अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र (3)
(क) विशेष आखेट अनुज्ञप्ति	100/-	एक जिला
(ख) बड़ा आखेट अनुज्ञप्ति	50/-	सम्पूर्ण राज्य
(ग) छोटा आखेट अनुज्ञप्ति	20/-	सम्पूर्ण राज्य

(ख) वन्य पशु पालन (Trapping) अनुज्ञप्ति

13. आवेदन पत्र - वन्य पशु पालन (Trapping) अनुज्ञप्ति का आवेदन मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या वन्य प्राणी अभिरक्षक या वन्य प्राणी अभिरक्षक को प्रारूप क्रमांक 2 में किया जावेगा।

14. फीस - वन्य पशु पालन अनुज्ञप्ति के आवेदन के साथ यह दर्शाये हुए कि निम्नलिखित मान के अनुसार फीस संदत्त की जा चुकी है, कोषागार चालान प्रस्तुत किया जावेगा अर्थात्-

(क) यदि आवेदन भारत के नागरिक द्वारा दिया गया हो तो 50/- रु. मासिक अनुज्ञप्ति फीस तथा भारत के नागरिक के अतिरिक्त आवेदनकर्त्ता 500/- मासिक अनुज्ञप्ति फीस के मान से जमा करेगा।

(ख) यदि आवेदन भारत के नागरिक द्वारा दिया गया हो तो 500/- वार्षिक फीस तथा भारत के नागरिक के अतिरिक्त अन्य आवेदनकर्त्ता 5,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस जमा करावेगा।

टिप्पणी - अनुज्ञप्ति एक जिले के लिए विधिमान्य होगी।

(ग) अनुज्ञप्ति का मन्जूर किया जाना

15. अनुज्ञप्ति का मन्जूर किया जाना - (1) इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति जारी करने वाला अधिकारी ऐसी जाँच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, आवेदन-पत्र मन्जूर या नामन्जूर कर सकेगा।

(2) जहाँ आवेदन पत्र नामंजूर किया जाता है वहां अनुज्ञप्ति फीस आवेदन को तत्परता से वापस कर दी जावेगी।

(3) जहाँ अनुज्ञप्ति जारी करने वाला अधिकारी, आवेदित अनुज्ञप्ति मन्जूर करने का विनिश्चय कर वहाँ वह आवेदक से नियम 14 तथा 15 में विनिर्दिष्ट निक्षेप (Deposit) तथा रायल्टी (Royalty), यदि कोई हो, का भुगतान दर्शाने वाला कोषागार का रसीदी चालान, ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(4) निक्षेप (deposit) तथा रायल्टी (Royalty) (यदि कोई हो) का भुगतान दर्शाने वाला कोषागार का रसीदी चालान प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति जारी करने वाला अधिकारी, आवेदित, अनुज्ञप्ति को उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट समुचित प्रारूप में मंजूर करेगा :

(5) (क) विशेष आखेट अनुज्ञप्ति प्रारूप 3 में मन्जूर की जावेगी।

(ख) बड़ा आखेट अनुज्ञप्ति प्रारूप क्र. 4 में मन्जूर की जावेगी।

(ग) छोटा आखेट अनुज्ञप्ति प्रारूप क्र. 5 में मन्जूर की जावेगी।

(घ) वन्य पशु पाशन अनुज्ञप्ति प्रारूप क्र. 6 में मन्जूर की जावेगी।

16. अनुज्ञप्ति की कालावधि - (1) इस अध्याय के अधीन मन्जूर की गई अनुज्ञप्ति उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि तक वैध होगी, जो कि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) अनुज्ञप्ति में वह क्षेत्र भी दर्शाया जायेगा जिसमें अनुज्ञप्ति धारी शिकार कर सकेगा।

17. अनुज्ञप्ति की मन्जूरी को शासित करने वाल सामान्य शर्तें -

(1) छोटा आखेट अनुज्ञप्ति में, प्रत्येक प्रजाति के उन पशुओं की अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट की जावेगी, जिनका दिनभर में शिकार किया जा सकेगा।

(2) वन्य पशु पाशन अनुज्ञप्ति में वह पद्धति, जिसमें विनिर्दिष्ट वन्य पशुओं को पकड़ने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, और वह संख्या, जिस तक, तथा वे शर्तें जिसके अधीन वन्य पशु पाशित किये जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट की जायेगी और वह धारा 17 द्वारा अधिरोपित निबन्धनों के अध्यधीन होंगी।

(3) विशेष आखेट अनुज्ञप्ति बड़ा आखेट अनुज्ञप्ति, या छोटा आखेट अनुज्ञप्ति का धारक, अपने द्वारा मारे गये पशु या मांस या निकाली गई अशोधित ट्राफी किसी व्यक्ति को नहीं बेचेगा या उसका विनिमय नहीं करेगा।

(4) (क) अनुसूची (दो) और अनुसूची (तीन) में वनिर्दिष्ट वन्य पशुओं को पाशित करना तब तक अनुज्ञात नहीं किया जावेगा जब तक कि मख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक का लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर यह समाधान न हो जावें कि इस प्रकार पशुओं को पाशित करना धारा 11 की उपधारा (1) या 12 के उपबन्धों के अधीन आवश्यक है।

(ख) वन्य पाशन (Trapping) अनुज्ञप्ति का धारक नियम 19 में विनिर्दिष्ट शिकार खण्डों में और शासकीय वनों में, ऐसे पशु को तब तक पाशित नहीं करेगा, जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात न किया जाये।

(5) अनुज्ञप्ति की शर्तों या इन नियमों या वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन कर मारे गये या पाशित किये गये पशुओं की ट्राफी, जिसमें न्यूनतम निर्धारित आकार-प्रकार की छोटी ट्राफी भी सम्मिलित है, धारा 39 के अधीन शासकीय सम्पत्ति मानी जावेगी।

(6) किसी वन्य पशु का शिकार करते या उसे पाशित करते समय, अनुज्ञप्तिधारी अपने साथ अनुज्ञप्ति ले जायेगा और मांग करने पर राज्य के वन विभाग के कर्मचारी या धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष उसे निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

(7) इस अध्याय के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति हस्तान्तरणीय नहीं होगी।

(8) इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा मारे गये, पाशित किये गये, या घायल किये, गये पशुओं का अभिलेख प्रारूप क्रमांक 7 में रखेगा और यह अभिलेख धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को अनुज्ञप्ति कालावधि समाप्त होने पर अभ्यर्पित (Surrendered) किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा न करने पर अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण (Renewal) या नई अनुज्ञप्ति की मन्जूरी का हकदार नहीं रहेगा।

(9) इस अध्याय के अधीन मन्जूर की गई अनुज्ञप्ति धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन घोषित बन्द कालावधि (Closed Season) के दौरान विधिमान्य (Valid) नहीं होगी।

(10) खतरनाक रूप से घायल मांस भक्षी पशुओं को छोड़कर, कुत्तों या अन्य किसी पशु-पक्षियों की सहायता से, किन्हीं भी पशुओं या पक्षियों को मारना या पाशित (Trap) करना निषिद्ध है।

(11) अनुज्ञप्तिधारी, दो से अधिक, बिना अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों को उनके जाल-पाश (Nettrap) अथवा अन्य उपकरणों (Other instrument) के साथ नियुक्त (employ) या नियोजित (engage) नहीं करेगा।

18. अनुज्ञप्तिधारी नियमों का पालन करेगा - इस अध्याय के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों और अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगा।

आरक्षित तथा संरक्षित वनों में शिकार खण्डों (Shooting Block)
वन्य पशुओं का शिकार

19. शिकार खण्डों का अवधारण (Determination) - (1) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मृगवन राष्ट्रीय उद्यान आखेट रक्षित (Games Reserve) को छोड़कर अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों की सुविधाजनक आकार के शिकार खण्डों में विभाजित कर सकेगा।

(2) जहाँ इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय शिकार खण्ड (Shooting Blocks) विद्यमान हों या जहाँ उपनियम (1) के अधीन शिकार खण्ड निर्धारण (Determined) किये गये हों वहाँ मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक (Chief Wild Life Warden) प्रतिवर्ष अक्टूबर में यह निर्धारित (Determine) करेगा -

(क) कौन से शिकार खण्ड, शिकार (hunding), आखेट (Shooting), मछली पकड़ने, जाल लगाने या पाश या फन्दा लगाने (Trapping) के लिए खोला जाना है।

(ख) अनुसूची दो, तीन और चार में उल्लिखित विभिन्न प्रजातियों के पशुओं की संख्या, जिनका कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये शिकार खण्डों में शिकार किया जा सकेगा।

(ग) पन्द्रह दिन, एक माह या एक माह से अधिक के अनुज्ञापत्र पर शिकार किये जाने वाले पशुओं की संख्या।

20. शिकार खण्डों के आरक्षण के लिये आवेदन-पत्र - (1) शिकार खण्डों के आरक्षण का आवेदन पत्र, उस माह के, जिसमें शिकार खण्ड का आरक्षण अपेक्षित हो, प्रथम दिन से अधिक से अधिक 90 दिन और कम से कम 30 दिन पहले मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए :

परन्तु -

(क) जिले के निवासी के मामले में ऐसा आवेदन-पत्र, ऐसी तारीख से 15 दिन पूर्व, किया जा सकेगा, और

(ख) 10 दिन से अधिक, अल्प कालावधि के लिये अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति ऐसा आवेदन किये जाने पर यथाशीघ्र मन्जूर की जा सकेगी/किया जा सकेगा।

(2) केवल विदेशी पर्यटक के लिए 100/- रुपये संदत्त किये जाने पर वास्तविक शिकार अनुज्ञापत्र, आरम्भ होने की तारीख के पूर्ववर्ती दो माह से अनधिक कालावधि के लिए शिकार खण्ड आरक्षित रखा जा सकेगा। परन्तु यह और भी, कि विदेशी पर्यटक के मामले में अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र, उसके उपयोग की वांछित तारीख से, छः माह पहले किया जायेगा।

(3) कोई भी आवेदक, किसी शिकार खण्ड (Shooting Blocks) के आरक्षण के लिए तब तक आवेदन नहीं करेगा जब तक कि उसके पास इस अध्याय के अधीन जारी की गई विधिमान्य शिकार अनुज्ञप्ति नहीं हो।

(4) प्रत्येक आवेदन-प्रपत्र के साथ आवेदक, उसके पास की शिकार अनुज्ञप्ति (Hunting licence) को ब्यौरे (Particulars) देगा।

21. फीस - (1) अनुज्ञा-पत्र के सम्बन्ध में संदेय फीस।

(क) भारत के निवासी के सम्बन्ध में प्रतिमाह न्यूनतम 20/- तथा अधिकतम 50/- के अध्यधीन रहते हुए प्रतिदिन दो रुपये, और

(ख) भारत के अनिवासी के मामले में या ऐसे दल के मामले में जिसमें ऐसे व्यक्ति आते हों, प्रतिदिन 20/- के हिसाब से लेकिन न्यूनतम 200/- तथा एक माह के 350/-

(2) शिकार खण्ड के आरक्षण के आवेदन-पत्र के साथ, यह दर्शाने वाला कोषागार चालान भेजा जायेगा कि उपरोक्त उपनियम (1) में यथा-विहित फीस, राजस्व निक्षेप के अधीन संदत्त की जा चुकी है।

22. शिकार खण्डों का आरक्षण - (1) नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, या अनुज्ञप्ति जारी करने वाला अधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, या तो शिकार खण्ड आवंटित करेगा या आवेदन-पत्र नामंजूर करेगा।

(2) जहाँ एक ही कालावधि के लिये किसी शिकार खण्ड के आरक्षण के सम्बन्ध में एक से अधिक आवेदन-पत्र हों, वहाँ शिकार खण्ड उस आवेदक को दिया जावेगा जिसका आवेदन-पत्र पहले प्राप्त हुआ हो :

परन्तु जहाँ आवेदकों में भारत के अनिवासी सम्मिलित हों, वहाँ निवासी की अपेक्षा अनिवासी को अधिमान्यता (Perference) दी जाएगी :

परन्तु यह और भी, कि आवेदक एक समय में एक से अधिक शिकार खण्ड प्राप्त नहीं करेगा।

(3) जहाँ एक ही दिन, एक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हों, वहाँ पर्ची डालकर मामला विनिश्चित किया जाएगा।

(4) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, आवेदक को आवेदन-पत्र पर पारित किये आदेश की संसूचना, यथास्थिति, आदेश किये जाने या पर्ची निकाले जाने के 5 दिन के भीतर देगा।

(5) उन आवेदकों द्वारा निक्षिप्त (Deposited) फीस, जिन्हें खण्ड आवंटित नहीं किये जा सकें हो, अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा तत्परता (Expeditiouly) से वापस कर दी जावेगी।

उपनियम (1) में यथा-विहित फीस, राजस्व निक्षेप के अधीन संदत्त की जा चुकी है।

23. निक्षेप और रायल्टी - जहाँ मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, आवेदित शिकार खण्ड के आरक्षित करने का विनिश्चय करे, वहाँ आवेदक, से ऐसे समय के भीतर जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट, मारे जाने के लिए अनुज्ञात पशु, यदि कोई हों, से सम्बन्धित निक्षेप और रायल्टी के राजस्व निक्षेप में संदाय दर्शाते हुए आवश्यक कोषागार चालान प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा-

(1) निक्षेप	भारत के निवासी (1)	अनिवासी (2)
(1) विशेष आखेट के शिकार के लिए,	500/-	1000/-
(2) बड़े आखेट के शिकार के लिए,	200/-	1000/-
(3) छोटे आखेट के शिकार के लिए,	100/-	200/-
(4) वन्य पशुओं के पाशन के लिये।	100/-	200/-

(2) रायल्टी -

क्रमांक	(1) निक्षेप	प्रति पशु दर रु. में भारत के निवासी	अनिवासी
(1)	अरना भैंसा (Bison)	1000/-	2000/-
(2)	साम्भर,	100/-	500/-
(3)	चीतल,	50/-	250/-
(4)	तेन्दुआ (Panther),	500/-	2000/-
(5)	रीछ (Sloth Beer),	50/-	200/-
(6)	लकड़बग्घा (Hyana),	10/-	50/-
(7)	नीलगाय (Blue, Bull),	50/-	200/-
(8)	हिरण (Barking Deer, Muntjee),	50/-	200/-
(9)	चोसिंगा (Four Hornedantelope),	50/-	200/-
(10)	मूसा हिरण (Mouse deer)	50/-	200/-

24. मन्जूरी - निक्षेप और रायल्टी यदि कोई हो का संदाय दर्शाने वाला कोषागार चालान अभिप्राप्त होने पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, या अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी आवेदित अनुज्ञा-पत्र मन्जूर करेंगे।

25. अनुज्ञा-पत्र जारी करने को शासित करने वाली सामान्य शर्तें - नियम 17 में उल्लिखित बातों के अतिरिक्त, आरक्षित एवं संरक्षित वनों में शिकार के अनुज्ञा-पत्र जारी करने में निम्नलिखित शर्तें शामिल रहेंगी -

(1) एक अनुज्ञा-पत्र पर शिकार करने के लिये अनुज्ञात शिकारियों की संख्या दो तक सीमित होगी। प्रत्येक अनुज्ञापत्र में शिकार करने के लिए प्राधिकृत शिकारी का नाम और पूरा पता तथा आयुध और आखेट अनुज्ञप्ति क्रमांक विनिर्दिष्ट हो, और उन प्रतिधारकों (Retainer) की संख्या, जिन्हें वन में लाया जा सकता है, विनिर्दिष्ट होगी।

(2) किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को 31 अक्टूबर में समाप्त होने वाले किसी एक वर्ष के दौरान शिकार खण्डों (Blocks) से निम्नलिखित से अधिक पशुओं का शिकार करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(एक) एक अरना भैंसा (Bison)

(दो) दो सांभर (Sambhar),

(तीन) चार हिरण, (Deer)

(चार) दो चीते (Panther)।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, केवल उन्हीं नियमित शिविर भूमियों में जो वन अधिकारियों द्वारा पृथक निर्धारित की गई हैं, या उन्हीं स्थानों में, जो कि वन अधिकारी द्वारा उसे विशेष रूप से बताये गये हैं, शिविर लगायेगा।

(4) अनुज्ञा-पत्र धारी, शिकार प्रारम्भ करने के पहले खण्ड की सीमाओं से अवगत होने और दल के सदस्यों को अवगत कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कोई भी अनुज्ञा-पत्र धारी, स्थानीय वन पदाधिकारी को कम से कम 24 घण्टे की सूचना दिये बिना, किसी वन में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उसे वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा छूट न दे दी गई हो।

(6) (क) कोई भी व्यक्ति जो खतरनाक पशु के शिकार का हकदार हो, और जो ऐसे पशु को घायल कर दे, उसे मारने का भरसक प्रयत्न करेगा। इस प्रयोजन के लिये वह समीपवर्ती खण्ड में प्रवेश कर सकेगा। यदि ऐसा घायल पशु वहाँ चला गया हो।

(ख) उपरोक्त (क) में दिये अनुसार, इस विषय पर कि किसी अनुज्ञप्तिधारी ने भरसक प्रयत्न किया है या नहीं, विवाद उत्पन्न होने पर उसका विनिश्चय मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा किया जाएगा, और इस सम्बन्ध में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ग) यदि अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे घाय पशु को मारने में असफल रहता है, तो वह अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी, और जहाँ वह घटना हुई हो, उस क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी को, घायल किये गये पशु का पीछा न किये जा सकने और उसे मार न सकते के कारणों को बताते हुए तत्काल लिखित सूचना देगा और वह समीपवर्ती क्षेत्र की ग्राम पंचायत को भी आस-पास घायल पशु होने की सूचना देगा।

(7) ऐसे पशु के सम्बन्ध में जो घायल हो गया हो, और गुम हो गया हो, यह मान लिया जाएगा कि उसका शिकार अनुज्ञा-पत्र के अधीन किया जा चुका है, और घायल तथा गुमशुदा पशु के बदले उसी प्रजाति के वन्य पशु का शिकार करने का अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी समपहृत (Forfeit) हो जाएगा।

(8) (क) इस अध्याय के अधीन, अनुज्ञापत्र धारी, सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारी को आरक्षित वन में हाँका (Organise drives) लगवाने के पने इरादे (Intention) की सूचना, उस तारीख और स्थान का उल्लेख करते हुए, जहाँ वह ऐसा हाँका लगवाना चाहता है, अग्रिम में देगा।

(ख) यदि वन मण्डलाधिकारी की राय हो कि ऐसा हाँका नहीं लगाया जाना चाहिए, तो वह लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसा हाँका लगवाना निषिद्ध कर सकेगा और उसे अनुज्ञापत्र धारी को संसूचित करेगा।

(9) शिकार के प्रयोजन के लिये बनाया कोई मचान, शिकार प्राप्त होने पर तुरन्त गिरा दिया जाएगा या भर दिया जाएगा।

(10) अनुज्ञा-पत्रधारी, वन-विभाग द्वारा पट्टेदार द्वारा किये जा रहे वन सम्बन्धी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(11) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, किसी भी समय इस अधिनियम या इन नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन किया जाने पर, चाहे अनुज्ञप्ति-पत्रधारी द्वारा, उसके किसी प्रतिधारक या अनुचार द्वारा, या उसके दल के किसी सदस्य द्वारा या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, या ऐसे किसी वन में आग लगाने की स्थिति में, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया है, या वन सम्बन्धी कार्य में अनपेक्षित हस्तक्षेप किये जाने की स्थिति में शिकार करने का अनुज्ञा-पत्र रद्द कर सकेगा।

(12) अनुज्ञप्ति-पत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे अधिनियम या विधि का उल्लंघन करने से, उसके द्वारा, उसके दल के सदस्य द्वारा या उसके प्रतिधारकों द्वारा या अनुचरों द्वारा किये गये, किसी कार्य या पहुँचाई गई किसी क्षति के दायित्व से छूट प्राप्त नहीं है।

26. खाल, सींग, दाँत, आदि का अधिहरण - मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, अधिनियम या इन नियमों के किसी भी उपबन्ध के भंग किये जाने की स्थति में, अभिलिखित किये जाने वाले समुचित और पर्याप्त कारणों के आधार पर, उस शास्ति के अतिरिक्त, जो प्रत्येक मामले में गुणावगुण पर विचार कर अधिरोपित की जाए, अनुज्ञा-पत्र के अधीन प्राप्त खाल, सींग, दाँत, ट्राफी आदि अधिहृत (Confiscate) कर सकेगा।

27. निक्षेप का समपहरण (Forfeiture of deposit) - (1) यदि अनुज्ञप्तिधारी नियम 18 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो उसके निक्षेप का सम्पूर्ण या कोई भाग समपहृत (Forfeit) किया जा सकेगा।

(2) जहाँ अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला अधिकारी, इस अध्याय के अधीन मन्जूर अनुज्ञा-पत्र को अधिनियम की धारा 13 के अधीन रद्द या निलम्बित करें, वहाँ वह लिखित कारणों को अभिलिखित कर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा किये गये निक्षेप केा पूर्णत: या अंशत: समपहृत (Forfeit) करने का आदेश कर सकेगा।

28. संदत्त फीस की वापसी - (1) किसी अनुज्ञा-पत्र या अनुज्ञप्ति के लिये संदत्त फीस की वापसी, वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा मन्जूर की जा सकेगी, यदि उस खण्ड के आग लगने या उसमें विशेष कार्य निष्पादित करने या उसे संभ्रान्त व्यक्ति (High personage) के लिए आरक्षण किये जाने का इसी प्रकार के अन्य कारणवश वन्य प्राणी अभिरक्षण द्वारा अनुज्ञा-पत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी को उस खण्ड में शिकार करने या पशु को पाषित करने (Trap) से निषिद्ध कर दिया जाता है। जहाँ अनुज्ञा-पत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञा-पत्र या अनुज्ञप्तिध को रद्द करने के लिए आवेदन करें, वहाँ नियम 21 के अधीन विहित और संदत्त फीस का आधा उसे वापस कर दिया जावेगा और आधा भाग शासन को व्यपगत (Lapse) हो जावेगा। अन्य किसी मामले या परिस्थिति में कोई वापसी अनुज्ञेय (Admissible) नहीं होगी।

29. निक्षेप और रायल्टी की वापसी - (1) अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट कालावधि समाप्त होने पर, और अनुज्ञप्तिधारी से प्रारूप क्रमांक 7 में उसके मारे गये, पकड़े गये या घायल पशुओं की विवरणी अभिप्राप्त होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी, इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि अनुज्ञा-पत्रधारी ने अनुज्ञा-पत्र की किन्हीं भी शर्तों को भंग किया गया है, और मारे गये पशुओं की रायल्टी (Royalty) का भुगतान कर दिया है, निक्षेप को तत्परता से (Expenditiously) वापस कर देगा।

(2) जहाँ अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह पशु, जिसके सम्बन्ध में रायल्टी का भुगतान किया गया था, मारा नहीं गया है, पाशित नहीं किया गया है, या घायल नहीं किया गया है, वहाँ वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रायल्टी के रूप में जमा की गई रकम सत्वरता से वापस कर देगा।

30. मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक या अनुज्ञप्ति जारी करने वाला अधिकारी रजिस्टर में अभिलेख रखेगा - मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक या अनुज्ञा जारी करने वाला अधिकारी अपने कार्यालय में एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें नियम 24 के अधीन प्राप्त हुए समस्त आवेदनों की प्रविष्टि की जावेगी और रजिस्टर में निम्नलिखित विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी अर्थात्-

(क) आवेदन पत्र की तारीख।

(ख) उसके कार्यालय में प्राप्त होने की तारीख।

(ग) आवेदक की शिकार अनुज्ञप्ति (Hunting Licence) की विशिष्टियाँ।

(घ) क्या आवेदन पत्र मंजूर या नामंजूर कर दिया गया है। अनुज्ञप्ति जारी करने वाला अधिकारी, प्रत्येक माह की दस तारीख को, इस अभिलेख की एक प्रति मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक को भेजेगा।

31. नीलामी, विक्रय आदि द्वारा व्ययन - इन नियमों में दी गई कोई भी बात, वन के किसी भाग में शिकार करने या मछली मारने के अधिकारी के नीलाम, विक्रय, संविदा या अन्य प्रकार से व्ययन (Disposal) करने से नहीं रोकेगी, किन्तु ऐसा कोई भी व्ययन, प्रत्येक मामले में राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, नहीं किया जाएगा।

अध्याय 4

मृगवन (अभ्यारण्य) तथा राष्ट्रीय उद्यान (Sancturies and National Park)

32. कलेक्टर द्वारा उद्घोषणा के बाद दावे प्रस्तुत किये जायेंगे - जहाँ कलेक्टर धारा 21 के अधीन उद्घोषणा प्रकाशित करता है, वहाँ धारा 19 में उल्लिखित किसी अधिकार का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा की तारीख से दो माह के अन्दर कलेक्टर के समक्ष प्रारूप क्र. 8 में लिखित दावा पेश करेगा।

33. दावेदार को सूचना - नियम 32 के अधीन किया गया दावा प्राप्त होने पर कलेक्टर दावेदार को, ऐसे स्थान और उस तारीख को, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, व्यक्तिश: अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की मार्फत उपस्थित होने और दावे की पुष्टि में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए, सूचना तामील करेगा।

अधि. क्र. F-14-82-1988 - x - 2 दि. 11-12-07

[1]34. धारा 28 के अंतर्गत अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश की अनुज्ञा की शर्तें एवं शुल्क :

(1) प्रवेश अनुज्ञा पत्र -

(क) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए इस नियम में विहित की गई शर्तो के अधीन और शुल्कों के भुगतान के अधीन मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश अथवा उसके द्वारा उसमें ऐसा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रवेश अनुज्ञा पत्र के बिना किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में प्रवेश नहीं करेगा।

(ख) प्रवेश अनुज्ञा पत्र वैयक्तिक, अहस्तांतरणीय तथा एक बार प्रवेश या उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि हेतु विधिमान्य होगा।

(2) प्रवेश -

(क) राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश नि:शुल्क रहेगा:

(एक) वन्यजीवों का अन्वेषण या अध्ययन और उसके प्रासंगिक या आनुषंनिक प्रयोजन;

(दो) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(तीन) राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारोबार का संव्यवहार;

(चार) टाइगर रिजर्व के बफर ज़ोन में या राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की सीमाओं से 5 कि.मी. की दूरी तक स्थित समस्त ग्रामों के मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों या ईका विकास समितियों के सदस्यों का प्राधिकृत अध्ययन प्रवास;

---

1. अधि. क्र. एफ.-14-82-1988-दस-2 दिनांक 28 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

(पाँच) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या विभिन्न राज्यों के वन विभागों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के छात्रों, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारीवृन्द का प्राधिकृत अध्ययन प्रवास; और

(छह) अभिभावकों के साथ भ्रमण कर रहे 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रवेश।

(ख) उपनियम 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड के अधीन नहीं आने वाले मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के, पूर्व सूचना के अधीन प्राधिकृत अध्ययन प्रवास पर आए छात्रों को नियमित प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। किसी संस्थान को यह सुविधा पूरे पर्यटन वष्ज्ञ

(1 जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून तक) की खुली अवधि में मात्र एक बार एक राउंड हेतु मंजूर की जाएगी।

(ग) विशेष परिस्थितियों में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश अथवा संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति या समूह को निर्धारित धारण क्षमता की सीमा के अंदर नि:शुल्क प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।

(घ) वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में विकलांग या गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को पैदल अथवा साइकिल से भ्रमण करने पर नियमित प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। रियायत प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रवेश द्वार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) किसी भी राउंड में नि:शुल्क एवं रियायती दरों पर दिया गया प्रवेश उस राउंड की निर्धारित धारण क्षमता के अतिरिक्त न होकर उसके भीतर होगा। पूरे पर्यटन वर्ष में यह सुविधा कुल वार्षिक धारण क्षमता के 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

(च) उप नियम 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक), (दो) या (तीन) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए जारी किए जाने वाले अनुज्ञा पत्र की शर्तों एवं पात्रता का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के आधार पर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा पृथक् से किया जाएगा।

(छ) पर्यटन या फोटोचित्र के प्रयोजनों के लिए प्रवेश अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए शुल्क की दरें एवं शर्तें नीचे दिए गए उपबंधों के अनुसार होंगी :-

सारणी - 1

अनु-क्र.	प्रवेश का प्रयोजन	क्षेत्र/स्थल	दो पहिया वाहन (रु.)		हल्के वाहन (जीप/कार/जिप्सी) (8 व्यक्तियों तक) (रु.)		मिनी बस (9 से 20 व्यक्तियों तक) (रु.)	
			भारतीय के लिए	विदेशी के लिए	भारतीय के लिए	विदेशी के लिए	भारतीय के लिए	विदेशी के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	वाहन से वन्यजीव दर्शन (प्रति राउंड)	कोर क्षेत्र (टाइगर रिजर्व) अन्य राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य (वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को छोड़कर)	-	-	1,200	2,400	5,000	10,000
2.	वाहन से विशिष्ट स्थलों के दर्शन	पचमढ़ी व्यू पाइंट्स	120	600	400	2,000	1,200	2,400
		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फॉल, केन घड़ियाल अभ्यारण्य में स्नेह फॉल, अन्य ऐसे स्थल जो संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं)	50	250	200	1,000	800	1,600

टीप.- (1) जहाँ संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा ऑटो रिक्शा के प्रवेश की अनुमति दी जाए, वहाँ उसक प्रवेश शुल्क दो पहिया वाहन के प्रवेश शुल्क से दोगुना होगा।

(2) मिनी बस में 20 से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त सवारी के लिए रु. 100/- (भारतीय नागरिक) एवं रु. 500/- (विदेशी नागरिक) प्रति व्यक्ति शुल्क देय होगा, किन्तु किसी भी स्थिति में वाहन की निर्धारित सवारी क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सारणी - 2

अनु-क्रमांक	प्रवेश का प्रयोजन	क्षेत्र/स्थल	भारतीय के नागरिक (रु.)	विदेशी नागरिक (रु.)	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	किसी विशिष्ट स्थल के पैदल दर्शन	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी व्यू पाइंट्स फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, अन्य ऐसे स्थल जो संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए।	20	200	प्रति व्यक्ति
		भीमबैठका (रातापानी) अभ्यारण्य	25	250	प्रति व्यक्ति। वाहन पार्किंग तक वाहन का प्रवेश नि:शुल्क रहेगा।

अनु-क्रमांक (1)	प्रवेश का प्रयोजन (2)	क्षेत्र/स्थल (3)	भारतीय के नागरिक (रु.) (4)	विदेशी नागरिक (रु.) (5)	अभ्युक्तियाँ (6)
2.	ट्रैकिंग (पैदल लंबा भ्रमण)/साइकलिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गों पर)	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान अन्य राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य।	50 100	500 1,000	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।
3.	कैंपिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट परिसरों में)	समस्त राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य।	500	5,000	प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि। इस दर में विनिर्दिष्ट मार्ग पर ट्रेकिंग या साइकलिंग भी सम्मिलित है। कैंप स्थल तक आवागमन एवं वहाँ से प्रस्थान दिन में सामान्य पर्यटन अवधि में अनुज्ञेय होगा।
4.	हाइड (hide)/मचान/वॉच टॉवर से वन्यप्राणी दर्शन।	कोर क्षेत्र (टाईगर रिजर्व) राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य।	150 75	1,500 750	स्थल की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी भी स्थल पर व्यक्तियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जा सकेगी।
5.	संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए गए वाहन से भ्रमण/वन्यप्राणी दर्शन।	बैटर चलित वाहन (वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामंडल अभ्यारण्य)।	50	250	प्रति व्यक्ति राउंड, प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त। प्रबन्धन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पर्यटकों की उपलबधता के अध्यधीन रहते हुए।
		इंजन चलित वाहन (समस्त राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य)।	100	500	प्रति व्यक्ति प्रति राउंड, यदि प्रबंधन द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार न्यूनतम पर्यटक उपलब्ध होते हैं।

सारणी - 3

अनु-क्रमांक (1)	प्रवेश का प्रयोजन (2)	क्षेत्र/स्थल (3)	मासिक शुल्क (4)	वार्षिक शुल्क (रु.) (5)	आजीवन शुल्क (रु.) (6)	अभ्युक्तियाँ (7)
1.	सुबह की पैदल सैर या साइकलिंग।	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य मार्ग पर	100	1,000	15,000	प्रति व्यक्ति। संचालक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा नियमित प्रवेश पास जारी किया जाएगा।

(एक) यदि एक ही वाहन में मिश्रित राष्ट्रीयता के पर्यटक सवाह हैं, तो विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शुल्क लागू होगा।

(दो) वाहन हेतु अनुज्ञात अधिकतम सवारी की गिनती में वाहन चालक, गाइड एवं नेचुरलिस्ट भी सम्मिलित होंगे।

(तीन) प्रवेश अनुज्ञा पत्र में सूचीबद्ध पर्यटकों को उनका परिचय-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित न होने पर प्रवेश अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

(चार) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा एक राउंड की अवधि निर्धारित की जाएगी।

(पाँच) नियमित राउंड के दौरान पर्यटकों को डिजिटल या स्टिल कैमरे का, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी।

(छह) यदि कोई व्यक्ति वाहन से वन्यजीव दर्शन के एक राउंड हेतु पूर्ण शुल्क का भुगतान करता है, तो विशिष्ट स्थलों के वाहन से या पैदल दर्शन का पृथक् से शुल्क नहीं लगेगा, जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पचमढ़ी व्यू पॉइंट्स, पन्ना टाइगर रिजर्व में पांडव फाल, रनेह फाल, आदि।

(सात) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी अनुज्ञेय वाहनों से भ्रमण हेतु उपलब्ध मार्ग के साथ ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या विर्निर्दिष्ट कर सकेगा।

(आठ) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी आवश्यकतानुसार ऐसा मार्गों या क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो धारा 28 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट अवधि हेतु बंद रहेंगे।

(नौ) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश की अनुज्ञा हेतु वाहनों की उपयुक्ता निर्धारित करने वाले मापदंडों का निर्धारण कर सकेगा। उसके द्वारा किसी भी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश का प्रतिषेध किया जा सकेगा।

(दस) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक संरक्षित क्षेत्र में नियमित भ्रमण कराने वाले वाहनों एवं वाहन चालकों के पंजीकरण हेतु प्रावधान कर सकेगा। अपंजीकृत वाहन में अथवा अपंजीकृत वाहन चालक द्वारा पर्यटकों को भ्रमण कराए जाने हेतु प्रवेश शुल्क समान क्षमता के पंजीकृत वाहनों हेतु विहित नियमित शुल्क का दो गुना होगा।

(ग्यारह) ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली वाले संरक्षित क्षेत्रों में पहले से ऑनलाइन बुक कराए गए प्रवेश अनुज्ञा पत्र (टिकिट) के धारण के वाहन में रिक्त स्थान उपलब्ध हो पर अतिरिक्त पर्यटक, जिसके नाम से टिकट प्रथमतः बुक कराया गया हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ऑनलाइन रद्द कराया गया प्रवेश अनुज्ञा पत्र दोबारा ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि उसे प्रवेश द्वार पर नियमित चालू बुकिंग से जारी किया जाएगा।

(3) फोटो चित्रण - (क) टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में फोटोग्राफी/फिल्मांकन हेतु अनुज्ञा पत्र कैमरामैन के नाम से क्षेत्र संचालक द्वारा जारी किया जाएगा, उसके लिए निम्नांकित सारण के अनुसार शुल्क देय होगा-

अवधि (1)	भारतीय शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार (2)	अन्य भारतीय नागरिक/ (3)	विदेशी नागरिक/ (4)	अभ्युक्तियाँ (5)
प्रथम सात दिन तक आठवें	10,000	20,000	40,000	प्रति कैमरामैन
दिन से पन्द्रहवें दिन तक।	7,500	15,000	30,000	प्रति दिन
सौलहवें दिन से लगातार	5,000	10,000	20,000	

(ख) अन्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में फोटोग्राफी/फिल्मांकन हेतु अनुज्ञा पत्र संबंधित क्षेत्र के भार साधक अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिस हेतु उपनियम (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित शुल्क का 50 प्रतिशत देय होगा।

(ग) ये दरें केवल तब ही लागू होंगी यदि कोई व्यक्ति पर्यटन के नियमितत समय से परे या सामान्य पर्यटन मार्गों से हट कर फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा चाहता है। फोटोग्राफी/फिल्मांकन हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समय, स्थल, समुचित शर्तें संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के परामर्श से अधिकथित की जाएंगी। ऐसी अनुज्ञा साधारणता खुले सीजन में जारी की जाएगी और इसकी अवधि भागों में भी हो सकेगी। विशिष्ट कारणों से, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश की पूर्व अनुज्ञा के साथ फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए अनुज्ञा पत्र वर्ष की बंद अवधि में भी दिए जा सकेंगे।

(घ) कैमरामैन वह व्यक्ति होगा जिसके नाम से फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा जारी की गई है। उसके सहायक के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुज्ञात किए जाएंगे किन्तु इन सहायकों को फोटोग्राफी/फिल्मांकन करने की अनुज्ञा नहीं होगी। तीन व्यक्तियों के इस दल से पृथक् से प्रवेश शुल्क संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ङ) सामान्यतः संरक्षित क्षेत्र में फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा केवल प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन या क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास को अभिलिखित करने हेतु प्रदान की जाएगी। तथापि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य कारण से भी फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुमति दे सकेगी:

परन्तु उक्त गतिविधि से क्षेत्र की पारिस्थितिकी या वन्य जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। ऐसी अनुज्ञा हेतु देय विभिन्न शुल्क इस नियम के विभिन्न उपनियमों में विहित किए गए नियमित शुल्कों के 5 गुने से कम नहीं होंगे।

(च) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश वन विभाग अथवा किसी व्यक्ति या संस्था के माध्यम से बनवाई जाने वाली वन्य जीवन आधारित ऐसी फिल्मों, जिनका उपयोग प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार, संरक्षण शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु किया जाना है, के निःशुल्क फिल्मांकन की अनुमति दे सकेगा। ऐसी सभी फिल्मों पर मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

(4) हाथी पर भ्रमण - (क) पर्यटन हेतु - हाथी पर एक बार में महावत के अलावा अधिकतम 4 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी। अभिभावकों के साथ पांच वर्ष की आयु तक के बच्चों हेतु अनुमति निःशुल्क होगी। हाथी से भ्रमण हेतु मार्गों तथा नियमावली का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। हाथी की सवारी की अवधि एक घंटा होगी, जिसके लिए प्रति व्यक्ति आधार पर हाथी शुल्क निम्नानुसार देय होगा :-

भारतीय नागरिक	:	रु. 500/-
विदेशी नागरिक	:	रु. 1,500/-

(ख) फोटोग्राफी/फिल्मांकन - उपनियम (3) के अधीन फोटोग्राफी/फिल्मांकन के अनुज्ञा धारक कैमरामैन की मांग पर हाथी की सेवाएं उसकी उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए और प्रति हाथी 3 घंटे के आधार पर निम्नानुसार देय हाथी शुल्क के भुगतान पर दी जा सकेंगी :-

भारतीय शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग या संस्थान हेतु।	:	रु. 6,000/-
अन्य सभी	:	रु. 12,000/-

(5) नौकायन - (क) ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में जहाँ किसी जलाशय/नदी/जल निकाय में नौकायन की संभावना हो, विभिन्न प्रकार के नौकायन हेतु शुल्क तथा नौकायन संचालन की नियमावली संरक्षित क्षेत्र में भारसाधक अधिकारी द्वारा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।

(ख) केवल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में मोटरचलित नौका से नौकायन शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति घंटे के आधार पर निम्नानुसार देय होगा :-

भारतीय नागरिक	:	रु. 50/-
विदेशी नागरिक	:	रु. 500/-

(6) स्थानीय गाइड एवं नैचुरलिस्ट - (क) संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन या फोटोग्राफी/फिल्मांकन के उद्देश्य से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु उनके साथ क्षेत्र संचालक/संचालक/वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी अथवा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पंजीकृत स्थानीय गाइड या नैचुरलिस्ट अनिवार्य रूप से जाएगा। स्थानीय गाइड या तो वह व्यक्ति होगा जो उस जिले या उन जिलों, जिनमें संरक्षित क्षेत्र स्थित है, का हो और साधारणतः वहां निवास करता हो जो स्थानीय क्षेत्र का हो अथवा मध्यप्रदेश राज्य का सेवानिवृत वन अधिकारी हो। जब श्रेणी के गाइड को नैचुरलिस्ट निर्दिष्ट किया जाएगा। गाइडों की श्रेणियां, योग्यताएं एवं उनको देय शुल्क नीचे दिए गए उपबंधों के अनुसार होंगे।

(ख) श्रेणियां एवं न्यूनतम अर्हताएं -

(एक) नैचुरलिस्ट श्रेणी एन-1 : वह अनिवार्यतः स्नातक को तथा उसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी या जर्मन भाषा का ज्ञान, स्तनधारी प्राणी, पक्षी, पौधा, तितली एवं सर्प प्रजातियों की पहचान, उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, वनों एवं पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक आधार, वन्यप्राणी साक्ष्य एवं चिन्हों, वन्यप्राणी आंकलन प्रक्रिया एवं नवीनतम वन्यप्राणी आंकलित संख्या, व्याख्या केन्द्र, पर्यटन नियमों, संरक्षित क्षेत्रों में 'क्या करें तथा क्या न करें', संरक्षित क्षेत्र के भूविज्ञान एवं भू-आकृति विज्ञान का ज्ञान हो, क्षेत्र के वनों एवं

वन्य प्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी, स्थानीय आदिवासी संस्कृति का सामान्य ज्ञान हो; प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

(दो) नैचुरलिस्ट श्रेणी एन-2 : वह अनिवार्यतः स्नातक हो तथा उसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी या जर्मन भाषा का ज्ञान, स्थनधारी प्राणी एवं पक्षी प्रजातियों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान, अन्य समूहों के प्राणियों और पौधों का सामान्य ज्ञान तथा उनके संबंध में रोचक तथ्यों, वनों एवं पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक आधार, वन्यप्राणी साक्ष्य एवं चिन्हों, वन्यप्राणी आंकलन प्रक्रिया एवं नवीनतम वन्यप्राणी आंकलित संख्या, व्याख्या केन्द्र, पर्यटन नियमों, संरक्षित क्षेत्रों में 'क्या करें तथा क्या न करें', संरक्षित क्षेत्र के भूविज्ञान एवं भू-आकृति विज्ञान का ज्ञान हो, क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी, स्थानीय आदिवासी संस्कृति का सामान्य ज्ञान हो, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

(तीन) गाइड श्रेणी जी-1 : वह हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण हो तथा उसे अंग्रेजी का कामचलाऊ ज्ञान हो, सभी स्तनधारी प्राणियों एवं सामान्य पक्षियों की पहचान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक तथ्यों, वन्यप्राणी साक्ष्य एवं चिन्हों, वन्यप्राणी आंकलन प्रक्रिया एवं वर्तमान आंकलित संख्या, व्याख्या केन्द्र, पर्यटन नियमों, संरक्षित क्षेत्र में "क्या करें तथा क्या न करें", संरक्षित क्षेत्र के भूविज्ञान एवं भू-आकृति विज्ञान का ज्ञान हो, संरक्षित क्षेत्र के वनों के संबंध में सामान्य ज्ञान हो, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

(चार) गाइड श्रेणी जी-2 : वन्यप्राणियों का ज्ञान हो, वन में मार्गों, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके संबंध में रोचक तथ्यों, वन्यप्राणी प्रबंधन, वन्यप्राणी व्यवहार एवं रहवास आदि। पर्यटन नियमों, संरक्षित क्षेत्रों में 'क्या करें तथा क्या न करें', का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्य प्राणियों के विषय में सामान्य ज्ञान हो, अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हो।

(3) नैयुरलिस्ट/गाईड शुल्क.- नैयुरलिस्ट/गाइड करने के लिए निम्नांकित शुल्क देय होगा :-
शुल्क देय होगा-

अनुक्रमांक	श्रेणी	नैचुरलिस्ट/गाइड शुल्क (रु.)		
		वाहन से भ्रमण (एक राउंड)	ट्रैकिंग/साइकलिंग (प्रतिदिन)	कैंपिंग (प्रति रात्रि + प्रवेश एवं निकास हेतु अनुज्ञात अवधि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	N-1	600	1,150	2,300
2.	N-2	500	850	1,200
3.	G-1	400	750	900
4.	G-2	300	700	800
5.	कुल	-	400	500

(घ) पूरे दिन के लिए नैयुरलिस्ट/गाइड लिए जाने पर उनको देय शुल्क ट्रैकिंग/साइकलिंग हेतु विहित शुल्क के बराबर।

(7) पर्यटन वर्ष की बंद व खुली अवधि. - (क) सामान्यतः वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान घुघवा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, रालामंडल अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फॉल, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, में स्नेह फॉल, पचमढ़ी स्थित दर्शनय स्थल, चिड़ीखोह (नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य), रातापानी अभ्यारण में भीम बैठका, बरूसोत व देलावाड़ी में वर्ष की कोई अवधि पर्यटन या फोटो चित्रण के प्रयोजन के लिए प्रवेश हेतु प्रतिबंधित नहीं होगी। शेष समस्त संरक्षित क्षेत्रों में एक जुलाई से पंद्रह अक्टूबर तक पर्यटन या फोटो चित्रण के प्रयोजन के लिये प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा एवं वर्ष की शेष अवधि पर्यटन एवं फोटो चित्रण के प्रयोजन के लिए खुली रहेगी। विशिष्ट कारणों से, मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश की पूर्व अनुज्ञा के साथ फोटोग्राफी, फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए अनुज्ञा पत्र वर्ष की बंद अवधि में भी दिए जा सकेंगे।

(ख) संरक्षित क्षेत्र में वाहन से भ्रमण की अनुमति केवल सूर्योदय से आधा घंटे पूर्व से एवं सूर्यास्त के आधा घंटे बाद तक के लिए ही दी जाएगी। प्रवेश एवं बाहर आने का वास्तविक समय संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा।

(8) विशेष शुल्क.- संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के परामर्श से पर्यटक यातायात के वन्यजीवन तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कम से कम 2 माह की पूर्व सूचना देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा किसी भी संवेदनशील या विशिष्ट क्षेत्र, मार्ग या गतिविधि पर विशेष दरें अधिरोपित कर सकेगा।

(9) विविध.- (क) कोई अन्य पर्यटन सेवा या गतिविधि, जिसका इस नियम में उल्लेख नहीं है या उल्लेख होने के बावजूद प्रबंधन की दृष्टि से अब तक शुरू नहीं की गई है, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश की पूर्वानुमति से प्रारम्भ की जा सकेगी। किन्तु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उससे होने वाले संभावित दुष्प्रभावों का आंकलन और उनको नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली जाए।

(10) संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या निर्धारण उसकी धारण क्षमता के आधार पर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अन्य गतिविधियों जैसे नौकायन, ट्रैकिंग कैंपिंग, हाथी पर भ्रमण, नेचर ट्रेल आदि के लिए पृथक्-पृथक् धारण क्षमता का भी निर्धारण किया जा सकेगा।

(ग) वन्यप्राणी संरक्षण या प्रबन्धन की दृष्टि से अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति विशेष या सभी व्यक्तियों के प्रवेश, भ्रमण अथवा उनके द्वारा किसी मार्ग या स्थल विशेष का उपयोग संदक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(घ) फोटोग्राफी/फिल्मांकन, नोकायन, वाहन से भ्रमण, हाथी पर भ्रमण, ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, कैंपिंग एवं हाइट/मचान/वॉच टॉवर आदि के उपयोग या भविष्य में प्रारम्भ की जाने वाली नई पर्यटन गतिविधियों के लिए विस्तृत निर्देश मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए जा सकेंगे, जिन्हें इस नियम का अंश माना जाएगा।

(ङ) राज्य सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई सभा, सम्मेलन, बैठक आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी मंडल, मध्यप्रदेश राज्य के वन्य विभाग के अधिकारियों की बैठकों, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा वन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा कार्यशालाओं के आयोजन पर लागू नहीं होगा।

(च) संरक्षित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से कोई भी विज्ञापन, साइनबोर्ड, बैनर, चार्ट आदि प्रदर्शित करना, चिपकाना, परिनिर्मित करना या ऐसा करते रहना निषिद्ध होगा।

(छ) कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में किसी भी वृक्ष, पुल, चट्टान, बागड़, सीट, नोटिस बोर्ड, कूड़ादान अथवा अन्य किसी भी वस्तु अथवा स्थल पर लिखी गई बात, चिन्ह आदि को नष्ट नहीं करेगा, क्षति नहीं पहुँचाएगा अथवा विकृत नहीं करेगा।

(ज) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(झ) पर्यटन या फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन से वन्यप्राणियों को देखने के लिए स्पॉटलाइट का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

(ञ)(एक) संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए प्रवेश पाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी नियम, निबंधन शर्त या प्रबंधन द्वारा जारी किए गए निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध सक्षम वनाधिकारी द्वारना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन समुचित कार्रवाई एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए प्रवेश अनुज्ञा पत्र की आंशिक या पूर्ण अवधि के लिए उसक प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(दो) फोटोग्राफी/फिल्मांकन दल के कैमरामैन या उसके किसी सहायक द्वारा उल्लंघन किए जाने पर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सक्षम वनाधिकारी द्वारा वैधानिक कार्रवाई करने के अलावा कैमरामैन को जारी किए गए फोटोग्राफी/फिल्मांकन के अनुज्ञापत्र की आंशिक या पूर्ण अवधि के लिए कैमरा दल का प्रवेश क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(तीन) पंजीकृत वाहन/नौका या वाहन चालक/नाविक या नैचुरलिस्ट/गाइड द्वारा उल्लंघन किए जाने पर सक्षम वनाधिकारी द्वारा वैधानिक कार्रवाई करने के अलावा किसी पर्यटन वर्ष (1 जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून तक) में प्रथम बार के उल्लंघन हेतु 7 दिन, द्वितीय बार के उल्लंघन हेतु 1 माह तथा तृतीय बार के उल्लंघन हेतु शेष पर्यटन वर्षों में तीन-तीन उललंघनों हेतु प्रतिबंधित किए जाने वाले पंजीकृत वाहन/नौका, वाहन चालक/नाविक या नैचुरलिस्ट/गाइड का संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा आगामी 2 पर्यटन वर्षो तक प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(चार) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी आदतन उल्लंघनकर्ता को या अतिगंभीर प्रकृति के उल्लंघन में लिप्त व्यक्ति का संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश लिखित आदेश द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(पांच) इस उपनियम के अन्तर्गत प्रवेश प्रतिबंधित करने की कोई भी कार्रवाई प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

(ट) नेपाल के नागरिकों को भारतीय नागरिकों हेतु लागू दरों पर ही विभिन्न शुल्क देय होंगे।

(ठ) दीपावली एवं होली के शासकीय अवकाशों पर सभी संरक्षित क्षेत्र पूरे पर्यटन एवं फोटो चित्रण हेतु बंद रहेंगे, इनके अलावा पर्यटन एवं फोटो चित्रण हेतु बंद दिनों का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

[1]धारा 35(1) : धारा 28(1) (क), (ग) तथा (ङ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए किसी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य में प्रवेश- (1) वन प्राणियों के अन्वेषण या अध्ययन और उसके अनुषांगिक प्रयोजन अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से किसी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य में प्रवेश के लिए मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक की लिखि पूर्वानुमति आवश्यक होगी। यह अनुमति मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा अधिरोपित की जा सकने वाली शर्तों के अधीन रहेगी।

(2) अभ्यारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिमान्य प्रयोजन से संव्यवहार हेतु अभ्यारण्य में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति को अधीक्षक, अभ्यारण्य द्वारा निर्धारित स्थान से नि:शुल्क अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा। इस अनुज्ञापत्र पर नियम 34 में उल्लेखित अन्य सभी शर्तें लागू होगी"

36. अनुज्ञा-पत्र जारी करने को शासित करने वाली सामान्य शर्तें- (1) इस अध्याय के अधीन जारी किए गए अनुज्ञा-पत्र में निम्नलिखित समस्त या कोई विशिष्टयाँ विनिर्दिष्ट की जायेंगी, अर्थात्-

(क) प्रवेश का प्रयोजन।

(ख) परिदर्शन (Visit) की अवधि।

(ग) परिदर्शन या उपयोग गके लिए अनुज्ञात क्षेत्र।

(घ) वे स्थान जहां शिविर लगाना अनुज्ञात है।

(ङ) मार्ग-दर्शकों की नियुक्ति।

(च) कोई अन्य शर्तें जो आवश्यक समझी जायें। यह अनुज्ञा-पत्र प्रारूप 24 में होगी।

(2) इस अध्याय के अधीन जारी किये गए अनुज्ञा-पत्र से, कोई व्यक्ति मृगवन या राष्ट्रीय उद्यान में स्थित किसी शासकीय भवन में नि:शुल्क आवास का हकदार नहीं होगा।

(3) (क) वन विभाग का कोई भी सदस्य या धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी, किसी भी व्यक्ति को जांच के लिये यथास्थिति, मृगवन या राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भीतर या प्रवेश-द्वार पर रोक सकेगा ओर इस अध्याय के अधीन मन्जूर किया गया अनुज्ञा-पत्र निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति जिसे खण्ड (क) के अधीन रुकने के लिए अपेक्षा की जाये, ऐसा करने के लिए कहे जाने पर रुकेगा और निरीक्षण के लिए अनुज्ञा-पत्र प्रस्तुत करेगा।

37. अनुज्ञा-पत्र का निरस्तीकरण (Cancellation) - जब कोई व्यक्ति, अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त को भंग करे, तब मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या मृगवन या राष्ट्रीय उद्यान या प्रभारी अधिकारी, कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात्, अनुज्ञा-पत्र को रद्द (Cancel) कर सकेगा।

38. छूट देने की शक्ति - जहाँ राज्य शासन, लोकहित में यह आवश्यक या वांछनीय समझे, वहाँ वह आदेश द्वारा, इस अध्याय के अधीन देय फीस की भुगतान करने से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को (Class of Persons) छूट दे सकेगा।

---

1. धारा 35 म.प्र. शासन वन विभाग की अधि. क्र. एफ/14-82-88-10-2 दिनांक 10-1-97 द्वारा धारा 35 संशोधित। दिनांक 15-1-97 से प्रभावशील

म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 13-1-97 के पृष्ठ 35-36 पर प्रकाशित।

39. आग्नेयास्त्र रखने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण -

(1) किसी क्षेत्र को मृगवन (अभ्यारण्य), राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किये जाने से तीन माह के भीतर, या इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय विद्यमान किसी मृगवन या राष्ट्रीय उद्यान से 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, और आयुध अधिनियम, 1959 (54, वर्ष 1959) (Arms Act, 1959) के अधीन शस्त्र आयुध (Fire Arm) रखने वाला व्यक्ति, अपने नाम के रजिस्ट्रीकरण के लिए मृगवन या राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी अधिकारी को प्रारूप क्रमांक 9 में आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन पत्र के साथ यह दर्शाते हुए कोषागार रसीद (Treasury Receipt) या बैंक चालान संलग्न किया जावेगा कि आवेदक ने पांच रुपये की फीस का भुगतान कर दिया है।

(3)(क) उपनियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मृगवन या राष्ट्रीय उद्यान का प्रभारी अधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, प्रारूप क्र. 10 में, आवेदक का नाम एवं अन्य विवरण दर्ज करेगा।

(ख) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के लिये रजिस्टर में पृथक् पृष्ठ आबंटित किया जावेगा।

(4) जहाँ अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या उसके अधीन बनाये नियमों के अधीन कोई अपराध करे, वहाँ मृगवन या राष्ट्रीय उद्यान का प्रभारी अधिकारी इस आशय की एक प्रविष्टि रजिस्टर में करेगा और जहाँ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि अनुज्ञप्तिधारी ने एक से अधिक अवसरों पर उक्त अपराध किया है, वहाँ वह आयुध अधिनियम, 1959 (54, वर्ष 1959) के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को लेख करेगा।

(5) जहाँ अनुज्ञप्तिधारी, विक्रय, दान या अन्यथा, अपना शस्त्र दूसरे व्यक्ति को अन्तरित (Transfer) करे तो वह ऐसे अन्तरण की तारीख से पन्द्रह दिनों की कालावधि के भीतर मृगवन या राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा।

(6) जहाँ उक्त अनुज्ञप्तिधारी उक्त दस किलोमीटर के भीतर अपना निवास बदले, वहाँ वह नये निवास पर जाने के पन्द्रह दिनों के भीतर नये पते की सूचना मृगवन या राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी अधिकारी को देगा।

(7) जहाँ अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जावे, वहाँ उसका उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि (Legal representative) इस तथ्य की सूचना मृगवन या राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी को देगा।

अध्याय 5

वन्य पशुओं, पशुओं से प्राप्त वस्तुओं और ट्राफियों का व्यापार या वाणिज्य

40. घोषणायें - ऐसी किसी घोषणा के होते हुए भी, जो किसी व्यक्ति ने धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन की हो, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके नियन्त्रण, अभिरक्षा या कब्जे में पशु से प्राप्त होने वाली कोई वस्तु या ट्राफी हो, (कस्तूरी मृग या बारह सींगे (Rehnoceros) के सींग या अनूसूची एक तथा अनुसूची दो के भाग में विनिर्दिष्ट पशु की नमक लगाकर रखी गई खाल के अतिरिक्त), इन नियमों के प्रभावशील या प्रारम्भ होने से तीस दिन के भीतर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) प्रारूप 11 में घोषणा करेगा।

41. जाँच तथा तालिकाएँ तैयार करना -

(1) नियम 44 या धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्राप्त होने पर, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, घोषणा करने वाले व्यक्ति को उस तारीख या समय की सूचना देगा जब वह उसके परिसर या परिसरों में, प्रवेश करेगा और ऐसी सूचना घोषणा करने वाले व्यक्ति पर तामील की जायेगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी।

(2) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, परिसरों को, और पशुओं से प्राप्त वस्तुओं, ट्राफियों, अशोधिक ट्राफियों की तथा अनूसूची एक तथा अनूसूची दो के भाग में विनिर्दिष्ट पकड़े गये पशुओं, का निरीक्षण कर सकेगा।

(3) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे पशुओं या परिसर में पाई गई वस्तुओं की सूची, प्रारूप 12 की तालिका में, बनावेगा।

(4) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर यथा-सम्भव अमिट स्याही से पहिचान चिन्ह लगायेगा।

42. स्वामित्व का प्रमाण-पत्र - मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, धारा 40 के प्रयोजनों के लिए प्रारूप क्रमांक 13 में ऐसे व्यक्तियों को स्वामित्व प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिसका कि उसके मत में, किसी पशु, पशु से प्राप्त वस्तु, ट्राफी या अशोधित ट्राफी पर विधिपूर्ण कब्जा हो।

43. पशु से प्राप्त, किसी वस्तु आदि में निर्माता या व्यापारी के रूप में कारबार प्रारम्भ करने या चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र -

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो :

(क) निम्नलिखित के रूप में कारबार करना या चलाना चाहे :

(एक) किसी पशु वस्तु का निर्माता या व्यापारी या (दो) चर्म शिल्पी का (Taxidermist), या

(तीन) ट्राफी या अशोधित ट्राफी के व्यापारी, का, या (चार) पकड़े गये पशुओं का व्यापारी, या

(पाँच) माँस का व्यापारी या

(ख) किसी भोजनालय में मैं पकाना या परोसना चाहे थे अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिये मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को प्रारूप क्रमांक 14 में आवेदन करेगा।

44. अनुज्ञप्ति मंजूर करना -

(1) नियम 43 के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, या तो अनुमति मंजूर करेगा या आवेदन पत्र नामंजूर करेगा।

(2) जहाँ आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जाये, उसके सम्बन्ध में संदत्त फीस आवेदक को शीघ्र वापस कर दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन, अनुज्ञप्ति मंजूर करते समय, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देगा।

(क) आवेदक जो व्यापार करना चाहता हो, उसमें व्यापारी के रूप में आवेदक का पूर्व वत्त।

(ख) क्या वह व्यक्ति, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या धारा 66 द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है;

(ग) राज्य में विद्यमान वन प्राणियों की प्रचुरता या अभाव को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञप्ति प्रदान करने की आवश्यकता।

(4) ऐसी अनुज्ञप्ति जिसके अधीन :

(क) निम्नलिखित के रूप में कारबार प्रारम्भ किया जा सकेगा या चलाया जा सकेगा :

(एक) पशु वस्तुओं के निर्माता या व्यापार या ट्राफी, या अशोधित ट्राफी के व्यापारी के रूप में - उसको अनुज्ञप्ति प्रारूप क्र. 15 में दी जावेगी।

(दो) चर्म शोधक (Taxidermist) को अनुज्ञप्ति प्रारूप 16 में दी जावेगी।

(तीन) पकड़े गये पशुओं के व्यापारी को अनुज्ञप्ति प्रारूप 17 में दी जावेगी।

(चार) माँस के व्यापारी को अनुज्ञप्ति क्र. 18 में दी जावेगी।

(पाँच) भोजनालय में माँस पकाने या अनुज्ञप्ति प्रारूप 19 में दी जावेगी।

[1]वन्य प्राणी (संरक्षण) उपरोक्त लायसेन्स देते समय अतिरिक्त बातों का विचारण नियम 1983 निम्न है- लायसेन्स देते समय निम्न अतिरिक्त बातों पर भी विचारण किया जावेगा-

(1) आवेदक के व्यापार को सुविधा, सामान, स्थान की उपयुक्तता आदि की दृष्टि से सम्हालने की क्षमता

(2) व्यापार के लिये माल प्राप्ति का साधन ओर तरीका।

(3) क्षेत्र में उस व्यापार के कितने लायसेन्स प्रचलित हैं।

(4) इस लायसेन्स के देने से वन्य पशु के शिकार या व्यापार पर पड़ने वाला प्रभाव

परन्तु यदि अनु. I अनुसूचि II के वन्य पशु, लायसेन्स देने के कारण शिकार या व्यापार में वृद्धि होने की आशंका हो तो बिना केन्द्र शासन के अनुमति के कोई लायसेन्स नहीं दिया जावेगा।

(ख) भोजनालय में मांस पकाने या परोसने वाले की प्रारूप क्र. 19 में दी जावेगी।

45. अनुज्ञप्ति का नवीकरण - (1) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति की तारीख के तीस दिन के अन्दर, अनुज्ञप्ति के नवीनकीकरण के लिए प्रारूप क्र. 20 में आवेदन करेगा।

(2) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, या प्राधिकृत अधिकारी, अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जैसा भी उपयुक्त हो, प्रारूप क्रमांक 15, 16, 17, 18 या 19 में अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कर सकेगा और उसमें उस कालावधि को विनिर्दिष्ट करेगा, जब तक के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया।

46. अनुज्ञप्ति मंजूर करने या नवीकरण हेतु लगने वाली फीस -

प्रत्येक अनुज्ञप्ति मन्जूर करने या उसे नवीनीकरण के साथ, प्रतिवर्ष लगने वाली फीस को कोषागार में चालान से जमा कराकर, वह चालान लगावेगा। फीस निम्नानुसार होगी-

(एक) पशु वस्तु के निर्माता या व्यापारी के लिये 50/- रुपये प्रतिवर्ष होगी।

(दो) चर्म शिल्पी (Taxidermist) के लिये फीस रु. 50/- प्रतिवर्ष होगी।

(तीन) ट्राफी या अशोधित ट्राफी के व्यापारी के लिए फीस 100/- रुपये प्रतिवर्ष होगी।

(चार) वन पशु पकड़ने की अनुज्ञप्ति के लिये रु. 50/- प्रतिवर्ष होगी।

(पाँच) माँस के व्यापारी के लिये फीस रु. 20/- प्रतिवर्ष होगी।

(ख) भोजनालय में माँस परोसने या पकाने के लिए 50/- रुपये प्रतिवर्ष होगी।

47. अनुज्ञप्ति की मंजूर को शासित करने वाली शर्तें - इस अध्याय के अधीन मंजूर प्रत्येक अनुज्ञप्ति में, उन निबन्धनों का उल्लेख किया जायेगा जिसके अध्यधीन रहते हुए व्यापार या व्यवसाय चलाया जावेगा और वह अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन होगी।

48. बिल या कैशमेमो का जारी किया जाना- (1) चर्मशोधक के अतिरिक्त, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, विक्रय के समय खरीददार को बिल या कैशमेमो जारी करेगा और बिल या कैशमेमो में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी:

नोट- के. शा. की अधि. क्र. G.S.R. 238 (E) दि. 13.4.83 से अनुज्ञा पत्र देते समय विचारण में नियम 1-4-83 में जोड़े गये जो के.शा. गजट असा. भाग 11 से 3(1) दि. 13.4.83 में प्रकाशित।

(क) अनुज्ञप्तिधारी का नाम

(ख) अनुज्ञप्ति के कारबार का नाम, पता व स्थान

(ग) अनुज्ञप्ति क्रमांक

(घ) बेची गई वस्तु का विवरण

(ङ) विक्रय मूल्य

(च) विक्रय का दिनांक

(छ) अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर।

(2) प्रत्येक चर्म शिल्पी (Taxidermist) ट्राफी या अशोधित ट्राफी वापस करते समय उसके स्वामी को एक प्रमाणक जारी करेगा और ऐसे प्रमाणक में निम्नलिखित विशिष्टियाँ (Particulars) होंगी, अर्थात्

(क) प्रमाणक (Voucher) जारी किये जाने की तारीख

(ख) अनुज्ञप्तिधारी का नाम, पता और कारबार का स्थान

(ग) अनुज्ञप्ति क्रमांक

(घ) प्रजाति (Specie) के नाम सहित विवरण

(ङ) मूल्य जो प्राप्त किया

(च) उस व्यक्ति का नाम जिसे प्रमाणक जारी किया गया

(छ) अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर।

49. बिल, कैशमेमो, प्रमाणक किसी प्रकार रखे जावेंगे- (1) नियम 48 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, प्रत्येक बिल, कैशमेमो या प्रमाणक, तीन प्रतियों में रखा जावेगा और उन्हें क्रमांकित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक बिल, कैशमेमो या प्रमाणक की, दूसरी तथा तीसरी प्रति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रख ली जावेगी और मूल प्रति :

(क) बिल या कैशमेमो के सम्बन्ध में खरीददार को दी जायेगी।

(ख) व्हाउचर के सम्बन्ध में ट्राफी के स्वामी को दी जावेगी।

(3) कोरे प्रमाणकों की पुस्तक उपयोग में लाने के पूर्व मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को, उसके हस्ताक्षर या मुद्रांक लगाये जाने के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

(4) प्रत्येक बिल, कैशमेमो या प्रमाणक की दूसरी प्रति नियम 51 में निर्दिष्ट मासिक विवरण के साथ भेजी जायेगी।

50. रजिस्टरों का रखा जाना - (1) पकड़े गये पशुओं, पशु वस्तुओं, ट्राफियों या अशोधित ट्राफियों या पशु से निकाले गये माँस का अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी, प्रारूप क्रमांक 21 में रजिस्टर रखेगा।

(2) ऐसा अनुज्ञप्तिधारी जो चर्मशोधक, हो, या पशु वस्तु निर्माता हो, प्रारूप क्रमांक 22 में रजिस्टर रखेगा।

(3) भोजनालय में माँस पकाने एवं परोसने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी प्रारूप 23 में रजिस्टर रखेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चत करेगा कि इस नियम के अधीन, उसके द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर, प्रतिदिन का कार्य समाप्त होने के पूर्व पूर्ण कर लिया जाता है।

51. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना - प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) प्रति माह निम्नानुसार मासिक विवरणियाँ (Monthly Return) प्रस्तुत करेगा :

(क) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को,

(ख) संचालक, वन्य प्राणी संरक्षण, या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी को।

इन विवरणियों में नियम 50 में निर्दिष्ट रजिस्टर में महीने के दौरान की गई प्राविष्टियों की सत्य प्रतिलिपि उसी फार्म में होगी, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी प्रविष्टियों की प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गई हो और हस्ताक्षरित की गई हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी, उस महीने के, जिससे वह विवरणी सम्बन्धित है, अगले महीनें के दसवें दिन तक प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय 6

विविध (Miscellaneous)

52. धारा 50 के अन्तर्गत अभिग्रहीत माँस या अशोधित ट्राफियों का व्ययन - अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत अभिग्रहीत माँस या अशोधित ट्राफियों की लोक नीलामी (Public auction) द्वारा विक्रय करने का प्रबन्ध मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा कि प्राधिकृत अधिकारी, द्वारा किया जावेगा तथा नीलाम से प्राप्त धारा 51 के उपबन्धों के अधीन करेगा और आगम शासकीय कोषागार या बैंक में लेखा शीर्ष" 0-406, वन एवं वन्य प्राणी .... " में आकलित की जायेगी।

53. फीस, निक्षेप तथा रायल्टी का जमा करना - (1) नियम 34 तथा 35 के सिवाय इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों के अधीन संदेय फीस शासकीय कोषागार या बैंक में लेखा शीर्ष "0-406, Forestry & Wild Life" में जमा की जायेगी।

(2) इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों के अधीन संदेय निक्षेप या रायल्टी शासकीय कोषागार या बैंक में लेखा शीर्ष "0-406, Forestry & Wild Life" में जमा की जायेगी।

54. अपराधों के प्रशमन की शक्ति- अधिनियम की धारा 54 के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित अधिकारी अधिनियम के विरुद्ध किये गये अपराध के प्रशमन (Componding) के रूप में धन की राशि का संदान

स्वीकार करने और ऐसा संदान करने पर अपनी अधिकारिता के भीतर अभिग्रहीत किसी सम्पत्ति को निर्मुक्त करने के लिए सशक्त होंगे अर्थात्-

(क) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक (Chief Wild Life Warden)

(ख) वन्य प्राणी अभिरक्षक (Wild Life Warden)

(ग) ऐसा वन अधिकारी जो उप वन संरक्षक से अवर श्रेणी का न हो।

55. अपराधों का संज्ञान- निम्नलिखित अधिकारी धारा 55 के अधीन परिवाद प्रसतुत करने के लिए अधिकृत होंगे :

(क) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक,

(ख) वन्य प्राणी अभिरक्षक,

(ग) वन परिक्षेत्र अधिकारी (Forest Range Officers)।

56. पुरस्कार- जहाँ इस अधिनियम के अपराध की दोष-सिद्धि की स्थिति में कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाये, वहाँ न्यायालय, शासकीय कर्मचारी के अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति को जिसने ऐसी सूचना दी हो, जिसकी परिणिति दोषसिद्धि में हुई हो, पुरस्कार के रूप में, उद्दग्रहीत जुर्माने की रकम आधे से अनधिक राशि का, पुरस्कार दे सकेगा।

57. निरसन तथा व्यावृत्ति (Repeal and Saving)- इन नियमों के प्रारम्भ होने से मध्य प्रदेश गेम्स रूल्स, 1962, मध्य प्रदेश फारेस्ट (हन्टिंग, शूटिंग, फिशिंग, पाइजनिंग, वाटर एण्ड सेटिंग ट्रेस और स्नेयर्स इन रिजर्व्ड प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स) रूल्स, 1963 तथा इन नियमों में अन्तर्विष्ट विषय से सम्बन्धित अन्य नियम निरसित हो जावेंगे परन्तु ऐसे निरसन का-

(एक) इस प्रकार निरसित नियमों या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई पूर्ववर्ती संक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(दो) इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार; विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण विधिक कार्यवाही, या उपचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह और भी पूर्ववर्ती परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए, इस प्रकार निससित नियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही, जहाँ तक वह इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानीय उपबंधों के अध्यधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी, और तद्नुसार तब तक प्रभाव में बनी रहेगी, जब तक उसे इन नियमों के अधीन किये गये किसी कार्य या की गई कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित नहीं किया जाता।

वन प्राणियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अधिसूचनायें

(1) अधिसूचा क्र. 7253-X-70 दिनांक 7 अक्टूबर 1970 राज्य शासन की राय है कि मध्यप्रदेश राज्य में चीतों (Tigers) का संरक्षण आवश्यक है, अतः जंगली पक्षी तथा पशु संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्र. 8 वर्ष 1972) की धारा 3, उपधारा (2) के द्वारा के प्रदत्त शक्ति के अनुसार राज्य शासन उक्त अधिनियम के प्रावधान चीते (Tiger) पर लागू करती है।

(2) अधिसूचा क्र. 7254-X-70 दिनांक 7 अक्टूबर 70 राज्य शासन जंगली पक्षी तथा पशु संरक्षण अधिनियम, 1912 (Wild birds and animal protection Act, 1912) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए घोषित करता है कि मध्य प्रदेश राज्य में चीते के लिये पूरा वर्ष बन्द काल (closed season) रहेगा।

(3) क्र. 116/दस/(2)/70, भोपाल दिनांक 3-3-71 मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7253/X/70 एवं 7254/X/70 दिनांक 7-10-70 से मध्य प्रदेश में शेरों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग गया है, अतः राज्य शासन, ने निर्णय लिया कि नरभक्षी एवं पशु भक्षी घोषित

किये गये शेरों के शिकार की भी, राज्य शासन, सम्बन्धित वन संरक्षक एवं सम्बन्धित जिलाध्यक्ष दोनों की पृथृक्-पृथक् अथवा संयुक्त रिपोर्ट पर, विचार, कर विशेष अनुमति देगा।

शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि घोषित नरभक्षी अथवा पशुभक्षी, शेर के शिकार के लिये विशेष अनुमति देते समय प्राथमिकता शिकार आउट फिटर्स व विदेशी शिकारियों को दी जायेगी। यदि वे सहमत न हों तब अन्य प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

प्रारूप 1

(नियम 11(1) देखिये)

विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन-पत्र

प्रति,

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक

प्राधिकृत अधिकारी

महोदय,

मैं .... निवासी .... जिला .... वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन शिकार करने के लिए विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करता हूँ। अनुज्ञप्ति के लिये मासिक/वार्षिक फीस के रूप में .... रुपये की कोषागार रसीद या बैंक चालान संलग्न करता हूँ।

मैंने अधिनियम और उसके अधीन बनाये नियमों को पढ़ा है और उनसे आबद्ध रहने का वचन देता हूँ।

मेरे लिये अपना नाम वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराना अपेक्षित नहीं है/अपेक्षित है और रजिस्ट्रीकरण .... मृगवन/राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी, अधिकारी द्वारा किया गया है।

मेरे पास आर्म्स रूल्स, 1962 के अनुसूची तीन के प्रारूप तीन में वर्णित शिकार के लिए आर्म लायसेन्स (Arm Licence) है। आर्म लायसेन्स सतयापन और वापसी के लिये इसके साथ संलग्न है।

मैं विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट के लिए निम्नलिखित शस्त्रों का प्रयोग करना चाहता हूँ-

....

....

....

अनुज्ञप्ति दिनांक .... से .... तक की अवधि के लिये .... जिले में ....वन मण्डल .... परिक्षेत्र .... के .... खण्ड के लिये/ सम्पूर्ण राज्य के लिये अपेक्षित है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 2

(नियम 13 के अधीन)

वन पशु पाशन अनुज्ञप्ति का आवेदन-पत्र

प्रति,

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक

मध्य प्रदेश

महोदय,

मैं .... निवासी .... जिला .... दिनांक .... से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए .... जिले में निम्नलिखित वन्य पशु के पाशन के लिये वन्य पशु पाशन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करता हूँ :

पशु का नाम (1)	पाशन की तारीख (2)	प्रत्येक प्रजाति की कुल संख्या (3)	पकड़ने का प्रयोजन (4)	वह क्षेत्र जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है (5)

(2) मैं अनुज्ञप्ति के लिये मासिक/वार्षिक फीस के रूप में रुपये .... का कोषागार चालान संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए बचनबद्ध हूँ।

(4) मैं प्रतिदिन .... से अधिक पशुओं को पाशित नहीं करूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 3

(नियम 15(5) (क) के अधीन)

विशेष आखेट अनुज्ञप्ति
कार्यालय मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश

1. अनुज्ञप्ति क्रमांक ....
2. जारी करने की तारीख ....
3. अनुज्ञप्ति धारी का नाम ....
4. व्यवसाय ....
5. पता ....
6. अनुज्ञप्ति शिकार खण्ड/वनमण्डल ....
   जिला/राज्य के लिये लागू होगी ....
7. शिकार में प्रयोग के लिये ....
   अनुज्ञात शस्त्रों की विशिष्टयाँ ....
8. अवधि जिसके लिये वैध है, दिनांक ....से ....
   दिनांक .... तक...
9. संदत्त अनुज्ञप्ति फीस.......................... संदत्त रायल्टी .... जमा की गई
10. वन्य प्राणी (संरक्षण), अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान निम्नलिखित पशुओं का शिकार किया जा सकेगा -

पशु (1)	शिकार की अधिकतम संख्या (2)	लिंग (3)	सींग, हाथी दांत या शरीर का कोई न्यूनतम आकार (4)	रायल्टी, यदि संदत्त की गई हो (5)

टिप्पणी -

(1) अनुज्ञप्ति से अनुज्ञप्तिधारी ऐसी स्थिति को छोड़कर जहाँ उसे मुख्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा अनुमति दी गई हो, अधिनियम की धारा 36 के अधीन आरक्षित आखेट क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में शिकार का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, और जहाँ ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो, वहाँ इस अनुज्ञप्ति में इस आशय की प्रविष्टि की जायेगी, उस स्थिति में यह अनुज्ञप्ति अधिनियम की धारा 36 के अधीन जारी की गई समझी जायेगी।

(2) अनुज्ञप्ति अधिनियम की धारा 16 के अधीन घोषित आखेट निषेध अवधि के अध्यधीन होगी।

(3) शिकार करते समय, अनुज्ञप्तिधारी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 17 और मध्य प्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 17 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेगा।

(4) यह अनुज्ञप्ति, उसकी समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसके द्वारा शिकार किये गये पशुओं का प्रारूप 7 में विवरण के साथ जारी करने वाले प्राधिकारी को अभ्यर्पित की जायेगी।

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक
मध्य प्रदेश भोपाल

प्रारूप 4

(नियम 15(5) (ख) के अधीन)

बड़ा आखेट अनुज्ञप्ति

कार्यालय मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश

1. अनुज्ञप्ति क्रमांक ....
2. जारी करने की तारीख ....
3. अनुज्ञप्ति धारी का नाम ....
4. व्यवसाय ....
5. पता ....
6. अनुज्ञप्ति शिकार खण्ड/वनमण्डल ....
   जिला/राज्य के लिये लागू होगी ....
7. शिकार में प्रयोग के लिये ....
   अनुज्ञात शस्त्रों की विशिष्टयाँ ....
8. वह कालावधि जिसके लिये वैध है; दिनांक ....
   दिनांक ....
9. संदत्त अनुज्ञप्ति फीस रु. .... संदत्त रायल्टी रु. .... जमा की गई।

वन्य प्राणी (संरक्षण), अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान निम्नलिखित पशुओं का शिकार कर सकेगा :

पशु (1)	शिकार की अधिकतम संख्या (2)	लिंग (3)	सींग, हाथी दांत या शरीर का कोई न्यूनतम आकार (4)	रायल्टी, यदि संदत्त की गई हो (5)

टिप्पणी -

(1) इस अनुज्ञप्ति से अनुज्ञप्तिधारी ऐसी स्थिति को छोड़कर जहाँ उसे मुख्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा अनुमति दी गई हो, अधिनियम की धारा 36 के अधीन आरक्षित आखेट क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में शिकार का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, और जहाँ ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो, वहाँ इस अनुज्ञप्ति में इस आशय की प्रविष्टि की जायेगी, उस स्थिति में यह अनुज्ञप्ति, अधिनियम की धारा 36 के अधीन जारी की गई समझी जायेगी।

(2) अनुज्ञप्ति अधिनियम की धारा 16 के अधीन घोषित आखेट निषेध अवधि के अध्यधीन होगी।

(3) शिकार करते समय, अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 17 और मध्य प्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 17 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेगा।

(4) यह अनुज्ञप्ति, उसकी समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसके द्वारा शिकार किये गये पशुओं का प्रारूप 7 में विवरण के साथ जारी करने वाले प्राधिकारी को अभ्यर्पित की जायेगी।

जारी करने वाला अधिकारी

प्रारूप 5

(नियम 15(5) (ग) के अधीन)

छोटा आखेट अनुज्ञप्ति

कार्यालय मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

1. अनुज्ञप्ति क्रमांक ....
2. जारी करने की तारीख ....
3. अनुज्ञप्तिधारी का नाम ....
4. व्यवसाय ....

5. पता ....

6. अनुज्ञप्ति शिकार खण्ड/वनमण्डल ....
जिला/राज्य के लिये लागू होगी ....

7. शिकार में प्रयोग के लिये ....
अनुज्ञात शस्त्रों की विशिष्टयाँ ....

8. वह कालावधि जिसके लिये वैध है; दिनांक ....
से दिनांक .... तक

9. संदत्त अनुज्ञप्ति फीस रु. .... संदत्त रायल्टी रु. .... जमा की गई।

वन्य प्राणी (संरक्षण), अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये उपबंधों के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमति अवधि के दौरान निम्नलिखित पशुओं का शिकार कर सकेगा :

पशु (1)	शिकार की अधिकतम संख्या (2)	लिंग (3)	सींग, हाथी दांत या शरीर का कोई न्यूनतम आकार (4)	रायल्टी, यदि संदत्त की गई हो (5)

टिप्पणी -

(1) इस अनुज्ञप्ति से अनुज्ञप्तिधारी ऐसी स्थिति को छोड़ जहाँ उसे मुख्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा अनुज्ञात किया गया हो, अधिनियम की धारा 36 के अधीन आरक्षित आखेट के रूप में अधिसूचित क्षेत्र में शिकार करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है और जहाँ ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो, वहाँ इस अनुज्ञप्ति में इस आशय की प्रविष्टि की जायेगी, जिस स्थिति में यह अनुज्ञप्ति अधिनियम की धारा 36 के अधीन जारी की गई समझी जायेगी।

(2) अनुज्ञप्ति अधिनियम की धारा 16 के अधीन घोषित आखेट निषेध अवधि के अध्यधीन होगी।

(3) शिकार करते समय, अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 17 और मध्य प्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेगा।

(4) यह अनुज्ञप्ति उसकी समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के अन्दर तथा उसके द्वारा शिकार किये गये पशुओं की जानकारी प्रारूप 7 में विवरण के साथ, जारी करने वाले अधिकारी को अभ्यार्पित की जावेगी।

जारी करने वाले प्राधिकारी

प्रारूप 6

(नियम 15 (घ) देखिये)

वन पशु पाशन अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....
वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन श्री .... निवासी .... जिला .... को दिनांक .... से प्रारम्भ तथा दिनांक .... को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान निम्नानुसार विनिर्दिष्ट पशुओं के पकड़ने की अनुज्ञा दी जाती है।

(1) वह क्षेत्र जिसमें पाशन अनुज्ञात किया गया है।

(2) (एक) पशु का नाम .... (दो) पाशित की जाने वाली संख्या
(तीन) लिंग .... (चार) न्यूनतम आकार ....
(पाँच) रायल्टी, यदि कोई-कोई संदत्त की जावे

(3) पाशन (Trapping) का तरीका तथा वे परिस्थितियाँ जिसमें पाशन किया जाना चाहिए।

(4) अनुज्ञप्ति वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अधीन घोषित निषेध अवधि के अध्यधीन होगी।

(5) अनुज्ञप्ति धारक, पाशन के समय अधिनियम की धारा 17 तथा मध्य प्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 17 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा पकड़े गये पशुओं का विवरण प्रारूप 7 में, जारी करने वाले प्राधिकारी को, उसकी अवधि समाप्ति के 15 दिन के भीतर या अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट क्षेत्र छोड़ने के पूर्व जो भी पहले हो, अभ्यर्पित कर दी जावेगी।

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक
मध्य प्रदेश

प्रारूप 7

(नियम 17 (8) तथा 29 देखिये)

मारे गये, घायल तथा पकड़े गये पशुओं के लेखे का फार्म

विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट/वन पशु पाशन/अनुज्ञप्ति क्रं. .... के अधीन श्री............................. के द्वारा मारे गये, पकड़े गये या घायल किये गये पशुओं का लेखा :

(1) प्रजातियाँ
(2) मारे गये या पाशित पशुओं की संख्या
(3) मारने या पाशित किये जाने का स्थान व दिनांक
(4) लिंग (Sex)
(5) सींग, हाथी दाँत या अन्य अवयवों का आकार ....
(6) घायल होने के बाबत भागे हुए पशुओं की विशिष्टियाँ

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची दो/अनुसूची चार/ में सूचीबद्ध वन्य पशु, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि में मध्य प्रदेश राज्य में मेरे द्वारा मारा नहीं गया, पकड़ा नहीं गया, या घायल नहीं किया गया है।

....
अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी - अधिनियम से संलग्न अनुसूची दो या अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट किसी पशु के मारे जाने, पकड़े जाने या घायल किये जाने की स्थिति में ऐसे पशु के मारे जाने, पकड़े जाने या घायल किये जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर या आखेट पाशन अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट क्षेत्र छोड़ने के पूर्व, जो भी पहले हो, ऊपर विनिर्दिष्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

प्रारूप 8

(नियम 32 के अधीन)

विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन-पत्र

प्रति,

कलेक्टर
जिला
महोदय,

मैं .... पिता का नाम .... निवास एद्तद्वारा घोषणा करता हूँ कि मुझे उद्घोषणा क्रमांक .... तारीख .... में विनिर्दिष्ट मृगवन (Sancturay) की सीमाओं में समाविष्ट भूमि में या पर नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकार है :

सारणी

उन अधिकारों का स्वरूप जिनका मृगवन में दावा किया है (1)	मृगवन में अधिकारों की सीमा (2)	यदि अधिकारों में सह स्वामी आदि के रूप में अधिकार हो तो उनके ब्यौरे (3)	वह अवधि जब से इन अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है (4)	दावाकृत प्रति कर की रकम और ब्यौरे (5)

2. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि सम्पत्ति विल्लंगमों से मुक्त है/या सम्पत्ति विल्लंगमाधीन है। (विशिष्टियाँ दें)।

3. मैं इसके साथ मेरे अधिकार का स्वरूप सीमा तथा वह तारीख जब से अधिकार उपयोग किया जा रहा है, साबित करने वाले दस्तावेज संलग्न करता हूँ।

4. आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए ऐसे अधिकार के कारण प्राप्त भारक (Rent) और लाभ का विवरण नीचे दिया है।

वर्ष	लाभ
(1)	
(2)	
(3)	

5. सुखाधिकार (Easement right) के मामले में वार्षिक मूल्य रू. .... है।

तारीख ....

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 9

(नियम 39(1) के अन्तर्गत)

विशेष आखेट/बड़ा आखेट/छोटा आखेट अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन-पत्र

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34 के अधीन मृगवन क्षेत्र या उसके आसपास 10 कि.मी. क्षेत्र के निवासियों के शस्त्रों का रजिस्ट्रीकरण का आवेदन।

प्रति,

प्रभारी अधिकारी

मृगवन/राष्ट्रीय उद्यान

महोदय,

मैं .... निवासी ग्राम .... जिला .... मृगवन/राष्ट्रीय उद्यान के दस किलोमीटर के भीतर निवास करता हूँ और वन्य रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता हूँ।

(2) मेरे पास के शस्त्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं/आयुध अधिनियम, 1959 के उपबन्धों से छूट प्राप्त हूँ।

आयुध अधिनियम की अनुज्ञप्ति क्र. तथा जारी करने की तारीख	प्रत्येक शस्त्र के ब्यौरे अर्थात् पहचान चिन्ह रजिस्ट्रेशन क्र. आदि	प्रत्येक प्रकार की गोला बारूद जिसे रखने का वह हकदार है की मात्रा तथा विवरण	अनुज्ञप्ति का प्रकार अर्थात् शिकार/आत्मरक्षा / प्रदर्शन आदि जो भी हो	अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख	टिप्पणियाँ अनुज्ञप्ति में यदि प्रति धारक (Retainer) स्वीकृति हा तो उसका नाम व पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(3) मैं रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में .... रु. की कोषागार रसीद/बैंक चालान संलग्न करता हूँ।

(4) आयुद्ध अनुज्ञप्ति (Arm Licence) इसके साथ, सत्यापन, पृष्ठांकन (Endoresement) और वापसी हेतु संलग्न है।

स्थान

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य

जिला	अभ्यारण्य का नाम	क्षेत्रफल व. कि.
1. शहडोल	1. पनपढ़ा	245.84
2. सीधी	1. सोन घड़ियाल	209.00
	2. बगदरा	478.90
3. मण्डला	1. फेन	110.74

जिला	अभ्यारण्य का नाम	क्षेत्रफल व. कि.
4. छिन्दवाड़ा	1. पेंच	449.99
5. होशंगाबाद	1. बोरी	518
	2. पंचमढ़ी	461.85
6. रायसेन	1. रातापानी	668.79
	2. सिंगोड़ी	287.91
7. सागर	1. नौरादेही	1034.52
8. ग्वालियर	1. घाटी गांव	512.00
9. शिवपुरी	1. करेरा	202.21
10. मुरैना	1. पालपुर	345.00
	2. रा. चंबल	3902.00
11. छतरपुर/पन्ना	1. केन घड़ियाल	45.00
12. देवास/सीहोर	1. खेवनी	122.70
13. राजगढ़	1. नरसिंहगढ़	57.19
14. धार	1. सरदारपुर	248.12
15. रतलाम	1. सैलाना	12.96
16. मन्दसौर	1. गांधीसागर	368.62
17. रतलाम	1. खर मोर अभ्यारण्य से लाना जिसमें 445 हे. प्रायवेट भूमि सम्मिलित है।	1257 हे.

नोट - वर्ष 2006 में खर मोर संरक्षण योजना लागू की जहां खरमोर कुछ समय रहेगा उसकी सूचना देंगे उन्हें 2000/- तथा पूरे सीजन रहेगा ऐसी सूचना देगा उन्हें 5000/- की राशि का पुरस्कार दिया जावेगा।

प्रारूप 10

(नियम 39(3) (क) देखिये)

मृगवन/राष्ट्रीय उद्यान का नाम .... मृगवन/राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के 10 किमी. में आयुद्ध रखने वाली व्यक्तियों का रजिस्टर

राजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम.................... पिता का नाम .... व्यवसाय .... निवास .... जिला ....

अनुक्रमांक	अनुज्ञप्ति क्र. तथा उसके जारी करने की तारीख	अनुज्ञप्ति का प्रकार जैसे शिकार/आत्मरक्षा/प्रदर्शन आदि जो भी हो दर्शायें	आयुधों तथा गोला-बारूद जिसे रखने का अनुज्ञप्तिधारी अधिकारी है	आयुधों तथा गोला बारूद का विवरण	क्षेत्र जिसके किये अनुज्ञप्ति बैध है	प्रतिधारकों (Retainers) के नाम व पते जो अनुज्ञप्ति में स्वीकृत हैं	अनुज्ञप्ति समाप्त होने की तारीख	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किये गये पहले अपराध का विवरण तारीख, स्थान, दण्ड आदि (यदि कोई हो)	किसी दूसरे या बाद के किये अपराध का विवरण	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अयुधों के अन्तरण (Transfer) विवरण	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवास-स्थान में परिवर्तन का विवरण व नया पता	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

प्रारूप 11

(नियम 40 देखिये)

ट्राफी आदि की घोषणा

प्रति,

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक
प्राधिकृत अधिकारी
....

महोदय,

मैं, ...

पिता का नाम ....

व्यवसाय ....

निवासी ....

तहसील ....

जिला ....

घोषणा करता हूँ कि मेरे नियंत्रण, अभिरक्षण, या कब्जे में निम्नानुसार पशु वस्तु, ट्राफी आदि है :

पशु वस्तुएँ वन प्राणी (संरक्षण) अधि. 1972 से संलग्न सूची दो में विनिर्दिष्ट वन पशुओं से प्राप्त वस्तु एवं ट्राफी	संख्या	उस पशु का नाम जिससे प्राप्त विवरण सहित	आकार (Dimensions)	कैसे प्राप्त की	वह परिसर जहाँ रखी है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स्थान

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 12

(नियम 41 (3) देखिये)

स्टाक तालिका (Inventroy of Stocks)

श्री ....

आत्मज ....

निवास .... ने दिनांक .... को प्रारूप 11 में अपने नियंत्रण, अभिरक्षण, या कब्जे में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचि एक या अनुसूची दो के भाग (दो) में विनिर्दिष्ट पशुओं/या उनसे प्राप्त वस्तुओं/ट्राफियों/अशोधित ट्राफियों/ जो नीचे दी गई सूची में दर्शाये गई हैं, घोषित किया है।

(2) दिनांक .... को परिसर का निरीक्षण करने तथा वैयक्तिक जाँच करने पर, नीचे विनिर्दिष्ट स्टॉक श्री .... के नियंत्रण, अभिरक्षा, कब्जे में पाया गया :

विवरण	घोषित स्टॉक	सत्यापन में पाया गया स्टॉक	पहिचान चिन्हों की स्टॉक विशिष्टियाँ	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

एक- पशु वस्तुएँ

(एक) पशु का नाम व विवरण जिससे वस्तु प्राप्त की गई।

(दो) संख्या

(तीन) आकार या वजन

(चार) परिसर जहाँ रखा गया

दो- बन्दी पशु

(एक) प्रजाति तथा लिंग

(दो) संख्या

(तीन) वयस्क या किशोर

(चार) परिसर जहाँ रखा गया

तीन- ट्राफियाँ

(एक) पशु की प्राति सहित विवरण

(दो) संख्या
(तीन) आकार या वजन
(चार) परिसर जहाँ रखा गया है

उक्त सत्यापन श्री .... अथवा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में किया गया, जिनके हस्ताक्षर नीचे हैं।

परिवार के सदस्य अथवा आवेदक के नाम तथा हस्ताक्षर

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक प्राधिकृत अधिकारी

प्रारूप 13

(संदर्भ नियम 42)

स्वामित्व का प्रमाण-पत्र

(कार्यालय मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल)

नाम .... पता ....

एदत्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....के नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचि एक या अनुसूचि के भाग, (दो) में विनिर्दिष्ट पशुओं की निम्नलिखित पशु, पशुवस्तु ट्राफियाँ या अशोधित ट्राफियाँ हैं -

आयटम	पशु की प्रजाति (SPP) जिससे प्राप्त हुई	आकार, विवरण व लिंग यदि संभव हो	संख्या	स्थान जहाँ रखा है	लगाया गया पहचान चिन्ह
1. पशु 2. पशु वस्तु 3. ट्राफी 4. अशोधित ट्राफी					

तारीख

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश, भोपाल

प्रारूप 14

(संदर्भ नियम 43(1))

निर्माता/चर्म-शोधन/व्यापारी आदि के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये आवेदन

(1) आवेदन का नाम ....
(2) व्यवसाय ....
(3) पता ....
(4) यदि अनुज्ञप्ति कम्पनी के नाम चाही गई है तो आवेदक का उस कम्पनी से सम्बन्ध ....
(5) कारबार/दुकान का नाम व पता ....
(6) अंशधारियों/भागीदायों के नाम व पते ....
(7) स्थान (Location) ....
(8) अनुज्ञप्ति निम्न में किस हेतु चाहिये -
(क) (एक) पशु/पशु वस्तु के निर्माता या व्यापारी ....
(दो) चर्म शोधक (Taxidermist) ....
(तीन) ट्राफी/या अशोधित ट्राफी के व्यापारी ....
(चार) बद्ध (Captive) पशु के व्यापारी ....
(पांच) मांस के व्यापारी ....
(ख) (एक) किसी भोजनालय में मांस पकाने या परोसने के लिए ....
(9) पूर्ववर्ती अनुज्ञप्ति क्रमांक/तारीख (यदि कोई हो) ....
(आवेदन के साथ संलग्न की जावे।)
(10) यदि वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की ....

धारा 44(2) के अधीन स्टाक सम्यक् रूप से ....
घोषित किया हो तो उसकी तारीख

(11) पशुओं की प्रजातियां (जिनका व्यापार/चर्म शोधन .... करना है) तथा प्रत्येक प्रजाति के पशुओं की लगभग .... संख्या/निर्मित की जाने वाली पशु वस्तु/ट्राफियों की संख्या/अशोधित ट्राफियों का विवरण

(12) अनुज्ञप्तिधारियों के नाम और अनुज्ञप्त क्र. जिनसे .... आवेदक अपने व्यापार के लिये वस्तु/यर्मशोधन के लिये स्टाफ प्राप्त करेगा।

(13) इसके साथ .... के रूप में कारोबार आरम्भ .... करने या चलाने के लिये एक वर्ष की फीस रु. .... का संदाय दर्शाने वाला कोषागार रसीद/बैंक चालान संलग्न है।

(14) मैंने वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, तथा .... उनके अन्तर्गत बनाये नियमों को पढ़ा है और उनका उनका पालन करने का वचन देता हूँ।

स्थान ....

तारीख .... आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्रारूप 15

(संदर्भ नियम क्र. 44(4) (क))

पशु वस्तुओं, ट्राफियों, अशोधिक ट्राफियों के व्यापार तथा निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसे अधीन बनाये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए श्री .... आत्मज .... को, जो .... जिले स्थित .... नगर .... में .... पर स्थित .... नामक कारबार/दुकान के स्वत्वधारी प्रबन्धक हैं, एतद्द्वारा दिनांक .... से प्रारम्भ होकर दिनांक .... को समाप्त होने वाली वर्ष की अवधि के लिए .... प्राधिकृत किया जाता है।

अनुज्ञप्तिधारी नीचे निर्धारित शर्तों का भी पालन करेगा।

(क) अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित प्रजातियों के पशुओं से प्राप्त ....

(1)

(2)

(3)

(ख) अनुज्ञप्तिधारी नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट प्रजाति के पशुओं से प्राप्त ट्राफियां/अशोधित ट्राफियों से उक्त सारणी के कालम (1) में विनिर्दिष्ट पशु वस्तु का निर्माण करेगा :

पशु वस्तु	पशुओं की प्रजातियाँ

(ग) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति से ही, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, बेचने अथवा अन्तरित करने के लिये प्राधिकृत हो, यथास्थिति पशु वस्तु, ट्राफी, अशोधित ट्राफी खरीदेगा, प्राप्त करेगा, या अर्जित करेगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 43 या 48 के उपबन्धों का अतिक्रमण कर कोई भी पशु, पशु वस्तु, ट्राफी, अधोधित ट्राफी नहीं खरीदेगा, प्राप्त नहीं करेगा, अर्जित नहीं करेगा या उसका परिवहन नहीं करेगा।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार .... कारबार के समय के दौरान और .... परिसर में ही करेगा। कारबार का स्थान परिवर्तन केवल उस प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही जिसने यह अनुज्ञप्ति जारी की हो, किया जा सकेगा और जहाँ कारबार का स्थान परिवर्तित किया गया हो, वहाँ नवीन परिसर का विवरण इस अनुज्ञप्ति में किया जावेंगी। सभी पशु वस्तुएँ, ट्राफियाँ, अशोधिक ट्राफियाँ केवल अनुज्ञप्ति में दिये गये परिसर में ही रखी जावेंगी।

(च) यह अनुज्ञप्ति उस परिसर के जहाँ कारबार चलाया जाता हो, किसी सहज दृश्य (Conspicuous) स्थान पर सम्प्रदर्शित (displayed) की जायेगी और अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जावेगी।

(3) अनुज्ञप्तिधारी ने .... रुपये वार्षिक फीस का संदाय किया है।

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया। वह दि. .... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया। वह दि. .... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप 16

संदर्भ नियम क्र. 44 (4) (क) (2) एवं 45 (2)

चर्मशोधन के लिये अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 तथा उसके अधीन बनाये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए श्री .... आत्मज .... को, जो .... जिले स्थित नगर .... में .... पर स्थित .... नामक कारबार/दुकान के स्वत्वधारी प्रबन्धक हैं, एतद्द्वारा दिनांक .... से प्रारम्भ होकर दिनांक .... को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि के लिये .... प्राधिकृत किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी नीचे निर्धारित शर्तों का भी पान करेगा-

(क) अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित प्रजातियों के पशुओं से प्राप्त ट्राफियों, अशोधित ट्राफियों का ही चर्म शोधन करेगा-

(1)

(2)

(3)

(ख) अनुज्ञप्धिारी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति से ही जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, बेचने अथ्वा अन्तरित करने के लिये प्राधिकृत हो, यथास्थिति पशु वस्तु, ट्राफी, अशोधित ट्राफी खरीदेगा, प्राप्त करेगा, या अर्जित करेगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 43 या 48 के उपबन्धों का अतिक्रमण कर कोई भी पशु, पशु वस्तु, ट्राफी, अशोधित ट्राफी नहीं खरीदेगा, प्राप्त नहीं करेगा, अर्जित नहीं करेगा या उसका परिवहन नहीं करेगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार .... कारबार के समय के दौरान और .... परिसर में ही करेगा। कारबार का स्थान परिवर्तन केवल उस प्राधिकारी कारबार का स्थान परिवर्तित किया गया हो, वहाँ नवीन परिसर का विवरण इस अनुज्ञप्ति में किया जावेगा। सभी पशु वस्तुएँ, ट्राफियाँ, अशोधित ट्राफियाँ केवल अनुज्ञप्ति में दियेगये परिसर में ही रखी जावेंगी।

(ङ) यह अनुज्ञप्ति उस परिसर के जहाँ कारबार चलाया जाता हो, किसी सहज दृश्य (Conspicuous) स्थान पर सम्प्रदर्शित (displayed) की जायेगी और अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जावेगी।

(3) अनुज्ञप्तिधारी ने .... रुपये वार्षिक फीस का संदाय किया है।

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया। वह दि. .... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया। वह दि. .... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप 17

(संदर्भ नियम क्र. 44 (4) (क) (तीन) एवं 45 (2))

बद्ध पशु व्यापार अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 और उसके अधीन बनाये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन श्री .... आत्मज .... को जो .... जिले स्थित नगर .... में स्थान पर स्थित .... नामक कारबार/दुकान के स्वत्वधारी/प्रबन्धक हैं, एतद्द्वारा दिनांक .... से आरम्भ होकर दिनांक .... को समाप्त होने वाले एक वर्ष की कालावधि के लिये .... बद्ध पशु का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

(2) अनुज्ञप्तिधारी नीचे दी गई शर्तों का भी पालन करेगा।

(3) अनुज्ञप्धिारी नीचे विनिर्दिष्ट पशुओं का बद्ध पशुओं के रूप में ही व्यापार करेगा।

पशुओं की प्रजाति	न्यूनतम आकार	लिंग
(1)	(2)	(3)

(ख) अनुज्ञप्धिारी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति से ही, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पशुओं को पकड़ने या बेंचन के लिये या अन्यथा अन्तरण करने के लिये, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्राप्त या प्राधिकृत हो, से ही उपयुक्त बद्ध पशु खरीदेगा, प्राप्त करेगा या अर्जित करेगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 43 या धारा 48 के उपबन्धों का अतिक्रमण कर बद्ध पशु नहीं खरीदेगा, प्राप्त नहीं करेगा। अर्जित नहीं करेगा या उसका परिवहन नहीं करेगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार केवल कारबार के लिये निर्धारित समय में और अनुज्ञप्ति में स्वीकृत परिसर में ही करेगा। कारबार का स्थान-परिवर्तन उस प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही, जिसने यह अनुज्ञप्ति जारी की हो, किया जा सकेगा जहाँ कारबार का स्थान परिवर्तित किया गया हो, वहाँ नवीन परिसर के विवरण की इस अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि की जायेगी। सम्पूर्ण बद्ध पशु केवल अनुज्ञप्ति परिसर में ही रखा जावेगा।

(ङ) यह अनुज्ञप्ति उस परिसर के, जहाँ अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार चलाता हो, किसी सहज दृश्य स्थान पर सम्प्रदर्शित (displayed) की जायेगी और अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जावेगी।

(3) अनुज्ञप्तिधारी ने .... रु. वार्षिक फीस का संदाय कर दिया है।

दिनांक जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

इस अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया। वह दिनांक .... तक विधिमान्य होगी।

दिनांक .... जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप 18

(संदर्भ नियम 44 (4) (क) (चार) एवं 45 (2))

मांस व्यापार अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 और उसके अधीन बनाये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन श्री .... आत्मज .... को जो .... जिले स्थित नगर .... में .... स्थान पर स्थित .... नामक कारबार/दुकान के स्वत्वधारी/प्रबन्धक है, एतदद्वारा दिनांक .... से आरम्भ होकर दिनांक .... को समाप्त होने वाले एक वर्ष की कालावधि के लिये पशु मांस का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. अनुज्ञप्ति नीचे दी गई शर्तो का भी पालन करेगा :

(क) अनुज्ञप्धिारी नीचे विनिर्दिष्ट पशुओं के मांस का ही व्यापार करेगा।

पशुओं की प्रजाति	न्यूनतम आकार
(1)	(2)

(ख) अनुज्ञप्धिारी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति से ही, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पशुओं को पकड़ने या बेंचने के लिये या अन्यथा अन्तरण करने के लिये, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्राप्त या प्राधिकृत हो, से ही उपयुक्त पशु मांस खरीदेगा, प्राप्त करेगा या अर्जित करेगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार केवल कारबार के लिये निर्धारित समय में और अनुज्ञप्ति में स्वीकृत परिसर में ही करेगा। कारबार का स्थान परिवर्तन उस प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही, जिसने यह अनुज्ञप्ति जारी की हो, किया जा सकेगा और जहाँ कारबार का स्थान परिवर्तित किया गया हो, वहाँ नवीन परिसर के विवरण की इस अनुज्ञप्ति में प्रविष्टि की जायेगी। सम्पूर्ण पशु मांस केवल अनुज्ञप्ति परिसर में ही रखा जावेगा।

(घ) यह अनुज्ञप्ति उस परिसर के, जहाँ अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार चलाता हो, किसी सहज दृश्य स्थान पर सम्प्रदर्शित (Displayed) की जायेगी और अधिनियम की धारा 4 की उपधारा के अधीन नियुक्त अधिकारी या धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जावेगी।

3. अनुज्ञप्तिधारी ने .... रु. वार्षिक फीस का संदाय कर दिया है।

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर/दिनांक

(जो लागू न हो उसे काट दें)

इस अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया, वह दिनांक .... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप 19
(संदर्भ नियम 44 (4) (ख) एवं 46 (2))
भोजनालय में मांस पकाने और परोसने की अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 और उसके अधीन बनाये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन श्री .... आत्मज .... को जो .... जिले के नगर .... में .... स्थान पर स्थित .... नामक कारबार/दुकान के स्वत्वधारी/प्रबन्धक है, एतद्द्वारा दिनांक से .... से आरम्भ होकर दिनांक .... को समाप्त होने वाले एक वर्ष की कालावधि के लिये पशु मांस का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

(2) अनुज्ञप्ति नीचे दी गई शर्तों का भी पालन करेगा -

(क) अनुज्ञप्धिारी निम्नलिखित प्रजाति के पशुओं का ही मांस पकायेगा और परोसेगा।

(1)

(2)

(3)

(4)

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यापारी से ही जो प्रारूप 18 में मन्जूर की गई अनुज्ञप्ति के अधीन मांस के व्यापार के लिये प्राधिकृत हों, मांस खरीदेगा, प्राप्त करेगा या अर्जित करेगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 43 या 48 के उपबन्धों का अतिक्रमण कर मांस नहीं खरीदेगा, प्राप्त नहीं करेगा, अर्जित नहीं करेगा या परिवहन नहीं करेगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में स्वीकृत परिसर .... में ही मांस पकावेगा और/या परोसेगा। कारबार का स्थान परिवर्तन केवल उस अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही, जिसने अनुज्ञप्ति जारी की हो, किया जा सकेगा और जहाँ कारबार का स्थान परिवर्तन किया जावेगा उस नवीन परिसर का विवरण इस अनुज्ञप्ति में दर्ज किया जावेगा। सम्पूर्ण मांस स्वीकृत परिसर में ही रखा जायेगा।

(ङ) यह अनुज्ञप्ति परिसर के, जहाँ अनुज्ञप्तिधारी का कारबार चलाया जाता हो, किसी सहज दृश्य (Conspicuous) स्थान पर सम्प्रदर्शित (Displayed) की जायेगी और अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

(3) अनुज्ञप्तिधारी ने रूपये .... वार्षिक फीस जमा की है।

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर/दिनांक

(जो लागू न हो उसे काट दें)

नवीनीकरण

(1) अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया। वह दिनांक .... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर/तारीख

(2) अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया। वह दिनांक .... तक विधिमान्य होगी।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर/तारीख

प्रारूप 20
(संदर्भ नियम 45 (1))
अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन-पत्र

प्रति,

मैं .... एद्तद्वारा अनुज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....के नवीनीकरण के लिए आवेदन करता हूँ।

इसके साथ रु. .... की वार्षिक फीस के भुगतान की कोषालय रसीद/बैंक चालान संलग्न है।

आवेदक का पूरा नाम व पता

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 21

(संदर्भ नियम 50 (1))

बद्ध पशु/पशु वस्तु/ट्राफी/अशोधित ट्राफी/मांस के व्यापारियों द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

तारीख	बद्ध पशु, पशु वस्तु, ट्राफी मांस का विवरण, पशु प्रजाति का नाम, आकार या लिंग यदि संभव हो	अर्जन की तारीख	किससे प्राप्त किया पूर्तिकर्ता का (नाम व पता दें)	पूर्तिकर्ता द्वारा धारित अनुज्ञप्ति का स्वरूप, प्रकार व क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्वामित्व के प्रमाण-पत्र का अनुक्रमांक यदि कोई हो	व्ययन का दिनांक (Date of Disposal)	व्ययन का तरीका (Mode of Disposal)	क्रेता का नाम व पता	बिल/कैशमेमो क्रमांक यदि आवश्यक हो	अन्तर्राज्यी गमनागमन की अनुमति का विवरण
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

प्रारूप 22

(संदर्भ नियम 50 (2))

चर्मशोधक (Taxidermist) पशु वस्तु निर्माता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

तारीख	प्राप्त अशोधित ट्राफी का विवरण, पशु की प्रजाति आकार, लिंग (यदि सम्भव हो)	प्राप्ति की तारीख	किससे प्राप्त हुआ, भेजने वाले (Sender) या प्रदाय करने वाले (Supplier) का नाम व पता	भेजने वाले या प्रदाय करने वह द्वारा धारित अनुज्ञप्ति का स्वरूप और प्रकार वाली वस्तु का विवरण	स्वामित्व के प्रमाणों-पत्रों की संख्या (यदि कोई हो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

पशु ट्राफी, पशु वस्तु तैयार या निर्मित की जाना	निर्मित या तैयार की जाने वाली वस्तुओं की संख्या	वह तारीख, तब तक पशु वस्तु या ट्राफी तैयार हो जावेगी	प्रेषण और परिदान का दिनांक	प्राप्तिकर्ता का नाम व पता	बिल/कैशमेमो/प्रमाणक का विवरण	अन्तर्राज्यी गमनागमन की विशिष्टियाँ यदि अपेक्षित हो
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

प्रारूप 23

(संदर्भ नियम 50 (3))

भोजनालय में मांस परोसने और/या पकाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

तारीख	पशु या प्रजाति का नाम, जिसका मांस खरीदा गया या प्राप्त किया गया	पूर्णतः या अंशतः खरीदे या प्राप्त किये पशुओं की संख्या	खरीदा या प्राप्ति की तारीख	प्रदायकर्ता का नाम व पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

पूर्तिकर्ता की अनुज्ञप्ति का विवरण	तारीख	दैनिक बिक्री की विवरणियाँ		
		उस पशु प्रजाति का नाम जिसका मांस विक्रय किया गया	बेची गई मात्रा	कैशमेमो/बिल का सन्दर्भ
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्रारूप 24
(संदर्भ नियम 36)
राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए अनुज्ञप्ति-पत्र
(तीन प्रतियों में)

श्री/श्रीमती .... और .... व्यस्क बच्चों के दल को वाहन क्रमांक .... में को वहाँ .... के प्रयोजन के लिये तारीख .... से तारीख .... तक रूकने की अनुमति दी जाती है। उन्हें सिने/साधारण कैमरे से पशुओं का छाया-चित्र लेने की अनुमति दी जाती है/नहीं दी जाती है। उन्हें .... अनुमति फीस भुगतान की है जिसकी रसीद क्र. .... दिनांक .... जारी हुई।

अनुमति पत्र जारी करने वाले
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

शर्तें

(1) यह अनुज्ञा पत्र वैयक्ति (Personal) है और हस्तान्तरणीय नहीं है।
(2) कर्त्तव्यस्थ वन अधिकारी या आखेट प्रहरी (Game warden) द्वारा मांग किये जाने पर अनुज्ञा-पत्र किसी भी समय प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
(3) यह अनुज्ञा-पत्र किसी भी समय राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी अधिकारी, वन संरक्षक, या सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकेगा और लिखित आदेश प्राप्त होने पर अनुज्ञा-पत्रधारी और उसका दल उद्यान से तुरन्त चला जावेगा।
(4) इस अनुज्ञा-पत्र का धारक और उसका दल इस अनुज्ञा-पत्र में प्रविष्ट शिविर स्थान में ही अपना शिविर लगावेगा। अनुज्ञा-पत्र धारी, उसको शिविर स्थान खाली करने का कहने पर, वह शिविर स्थान खाली कर देगा।
(5) अनुज्ञा-पत्र धारी उद्याने में अनुज्ञा-पत्र में प्रविष्ट अधिकतम संख्या से अधिक व्यक्ति नहीं लायेगा, चाहे वे उसके मित्र हों, प्रतिधारक (Retainer) हों, अनुचारी (followers) हों या अन्य व्यक्ति हों
(6) राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी, वन मण्डलाधिकारी की अनुमति से ही राष्ट्रीय उद्यान में पिकअप (Pickup), ग्रामोफोन (Gramophone) या रेडियो (Radio) का उपयोग किया जा सकेगा। अन्यथा नहीं।
(7) अनुमोदित शिविर स्थल के अतिरिक्त, राष्ट्रीय उद्यान में न तो जली हुई सिगरेट या अन्य जलती सामग्री फेंकी जायेंगी, और न ही कहीं भी आग जलाई जावेगी।

....

मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के पत्र क्र. 1124/25/प्रबन्ध/दिनांक 8-4-85 द्वारा वन्य प्राणी द्वारा क्षति की प्राथमिक रिपोर्ट तथा किसी ग्रामीण के पशु को क्षति पहुँचाने पर भेजने वाले फार्म का प्रारूप निम्नानुसार निर्धारित किया है तथा :

वन्य प्राणी क्षति प्राथमिक रिपोर्ट :

बुक क्रमांक .... पृष्ठ क्रमांक ....

(1) रिपोर्ट का क्रमांक .... दिनांक ....

(2) पशु मालिक का नाम/पिता का नाम/जाति/उम्र/सकूनत ....

(3) क्षति का विवरण : किस्म पशु .... अनुमानित उम्र ....

(4) मनुष्य को पहुँचाई क्षति का विवरण ....नाम/पिता का नाम .... जाति/उम्र/सकूनत ....

(5) किस्म वन्य प्राणी ....

(6) घटना का दिनांक ....

(7) नाम व पता गवाहान (1) ....(2) ....

हस्ताक्षर वन रक्षक

नोट : दूसरी प्रति परिक्षेत्र अधिकारी को तथा तीसरी वन मण्डलाधिकारी को भेजी जावे। यह रिपोर्ट क्षति की घटना के 48 घण्टे में बाला आफिसर को भेजी जावे।

पशु को क्षति पहुँचाने की सूचना

सूचना देने वाला मैं .... बल्द .... जाति .... पेशा .... साकिन .... तहसील को .... (शेर, तेन्दूआ) द्वारा ग्राम/वन क्षेत्र में मेरी .... (मवेशी की किस्म गाय, भैंस) जिसका रंग .... था और जिसकी आयु .... वर्ष (लगभग थी, को मारा/घायल किसी/है)।

कृपया उचित कार्यवाही करें।

साक्ष्यों के नाम व पते :

(1)

(2) हस्ताक्षर मालिक मवेशी या निशान अंगूठा

वन्य प्राणी संरक्षण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण आदेश

टिप्पणी- (1) मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. ने पत्र क्र. (प्रबन्ध) 406 दि 8-2-90 द्वारा जो जंगल में कुत्तों द्वारा मारे गये पशु के मांस को नीलाम करना नियम निरुद्ध निरूपित किया तथा ऐसी स्थिति में मांस को जमीन, में गाड़ने तथा चमड़े को नमक लगाकर उनके कार्यालय में भेजने हेतु निर्देशित किया है।

टिप्पणी- (2) म.प्र. शासन, वन विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 14/38/X/2/90 दिनांक 21-9-90 द्वारा जो मु. व. सं. (वन्य प्राणी मध्य प्रदेश, भोपाल के पत्र क्र. 3025 दिनांक 21-7-90 द्वारा अग्रेषित हुआ, में निम्न निर्देश दिये हैं : यथा : हिंसक वन प्राणियों द्वारा जन घायल होने पर उसे तत्कालिक सहायता हेतु 200/- रुपये तत्काल दिये जावें। यह भुगतान परिक्षेत्र अधिकारी कर सकता है। सहा. परिक्षेत्र अधिकारी भी कर सकता है। अन्तिम निर्णय के समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जावे -

(1) पूर्ण या आंशिक विकलांगता

(2) उपचार काल में रोजी रोटी । पारिश्रमिक की क्षति

(3) उपचार काल में अस्पताल, औषधि आदि पर व्यय

(4) उपचार काल में निजी व्यवसाय। नौकरी न कर पाने से क्षति :

प. अ. स्थल निरीक्षण उपरान्त पूर्ण प्रतिवेदन वन मण्डलाधिकारी को प्रस्तुत करें।

टिप्पणी- (3) म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग के पत्र क्र. 16/30/83 बीर (1) दो दि. 22-7-83 द्वारा यह निर्देश दिये कि शस्त्र नियम 1962 के नियम 14(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर राजय शासन यह निर्देश देता है कि पार्क, मृगवनों के 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर रहने वाले कृषकों के कृषि रक्षा के लिये प्रदत्त शस्त्र, कृषि काल के पश्चात् थानों में जमा कराये जावें।

वैध शिकार विषयक प्रकरणों में कार्यवाही

मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /प्रबन्ध/अप/अनु./3246 दिनांक 8-9-86 द्वारा जारी निर्देश :

(1) अवैध शिकार की घटना के प्रकाश में आते ही 48 घंटे के अन्दर अपने उच्च अधिकारी को सूचित करें साथ ही तार द्वारा यह सूचना मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), भोपाल को भेजें। यह सूचना किसी भी स्तर के अधिकारी द्वारा भेजी जा सकती है।

(2) द्वितीय सूचना एक सप्ताह में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अवैध शिकार की सम्पूर्ण जानकारी देते हुए सम्बन्धित वन संरक्षक को तथा एक प्रति मु. व. सं. (वन्य प्राणी), भोपाल को भेजें।

(3) अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु साक्ष्य एवं प्रमाण जुटाकर तथा अधिवक्ता का परामर्श लेकर एक माह में यह जानकारी वन मण्डलाधिकारी उस अधिकारी के द्वारा भेजे, जो वैधानिक कार्यवाही करने में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है।

(4) व्यक्तिगत रूप से मुख्यालय आने वाले अधिकारी अवैध शिकार के प्रकरण की जाँच करावे तथा लिखित में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करें।

(5) इसके पश्चात् प्रकरण की प्रगति से प्रतिमाह सूचित करें।

(6) अवैध शिकार के प्रकरणों में कोर्ट में चालान रिवीजन आदि के लिये सामान्यत: शासन की ओर से पैरवी के लिये शासकीय अधिवक्ता नियुक्त होता है अत: आवयक होने पर ही प्रायवेट अधिवक्ता नियुक्त करें।

(7) यदि शासकीय अधिवक्ता उपलब्ध न हो तो जिलाध्यक्ष की लिखित अनुशंसा प्राप्त कर प्रायवेट अधिवक्ता की सेवा प्राप्त करें।

(8) प्रकरण में कोई वस्तु की नीलाम करने या प्रकरण अभिसंधान करने के पूर्व मु. व. सं. (वन्य प्राणी) से अनुमोदन प्राप्त करें।

म. प्र. शासन, वन विभाग, भोपाल का क्र. एफ./3/122/90/19/2 दिनांक 9-10-90 वन सम्बन्धी अपराध की सूचना दताओं को पुरस्कार देने के सम्बन्ध में निर्देश :

अपराध की सूचना दिये जाने पर यह सिद्ध होने पर कि अपराध हुआ है, पुरस्कार दिया जा सकेगा। उक्त प्रकरण से प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अथवा नि. अगूठा नहीं लिया जावेगा तथा सूचना दाता का नाम गोपनीय रहेगा। पुरस्कार स्वीकृत करने तथा वितरित करने का अधिकार, वन मण्डलाधिकारी, संचालक राष्ट्रीय उद्यान तथा अधीक्षक अभ्यारण्य को होगा।

अनु.	अपराध का विवरण	अधिकतम राशि	विशेष
(1)	शेर, गौर, जंगली भैंसा का शिकार जब अपराधी ज्ञात हो	500/-	प्रकरण व पुरस्कार की सूचना मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी को दी जावेगी)
(2)	उपरोक्त में अपराधी अज्ञात हो	100/-	अपराधी का पता न होने पर अपराध सिद्ध होने पर मुख्य वन प्राणी अधीक्षक की पूर्व अनुमति प्राप्त कर देय होगा।
(3)	अन्य पशु-पक्षी जैसे मगर, घड़ियाल, मोर ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड जब अपराधी अज्ञात हो।	200/-	मु. व. प्रा. अ. को सूचना दी जावेगी
(4)	उपरोक्त में अपराधी अज्ञात हो	25/-	"
(5)	अन्य पक्षी जब आपराधी ज्ञात हो	5/-	"
(6)	वन पुलिस कर्मचारियों को पुरस्कार अच्छे आचरण, सूझबूझ, विशिष्ट साहसिक कृत्य, सराहनीय कार्य हेतु	250/-	वन्य प्राणी अभिरक्षक मु. वन प्रा. अ.

[1]भाग 3

1. हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि, घायल होने एवं पशु हानि किये जाने पर राहत राशि

जनहानि द्वारा वन्य प्राणी - (साँप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर)

पशु हानि द्वारा वन्य प्राणी - शेर, तेन्दुआ, जंगली हाथी

1. जन हानि (मृत्यु होने पर) - रु. 1,50,000/- एवं इलाज पर हुआ व्यय

2. स्थाई रूप से अपंग होने पर - रु. 1,00,000/- एवं इलाज पर हुआ व्यय

3. जन हानि (घायल होने पर) - रु. 30,000/- (अधिकतम)

4. पशु हानि (शेर तथा तेन्दुआ द्वारा) - राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार,

1. म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल पत्र क्र. एफ. 15-13/2007/10-2/भोपाल दिनांक 20.07.2012

जो वर्तमान में निम्नानुसार है। संशोधन आदेश क. एफ.-1/2012/सात-3 भोपाल दि. 13.4.2012

क्र.	पशु का प्रकार	विशेष
1.	दुधारू पशु -	
	(क) भैंस/गाय/ऊँट	16,400/- (रुपये सोलह हजार चार सौ)
	(ख) भेंड/बकरी	1650/- (रुपये एक हजार छः सौ पचास)
2.	गैरदुधारू पशु -	
	(क) बैल/भैसा/ऊँट/घोड़ा	15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार)
	(ख) बच्चा - गाय/भैंस/घोड़ा/ऊँट	10,000/- (रुपये दस हजार)
	(ग) गधा/खच्चर	10,000/- (रुपये दस हजार)
3.	सुअर	1,500/- (रुपये एक हजार पाँच सौ)
4.	बच्चा - भेड, बकरी, सुअर गधा	250/- (रुपये दो सौ पचास)

1. उपरोक्त सेवाएँ म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत क्रमशः सेवा क्र. 10.1, 10.2 एवं 10.3 सम्मिलित होकर समय सीमा क्रमशः 3 कार्य दिवस, 7 कार्य दिवस एवं 30 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।
2. जन हानि में तात्कालिक सहायता रुपये 5,000/- एवं जन घायल में रुपये 1,000/-
3. पशु हानि में 48 घंटे के अन्दर सूचना वन परिक्षेत्राधिकारी को तथा मवेशी घटना स्थल से न हटाना।
4. जन हानि प्रकरण में आवेदन पत्र के साथ पुलिस रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

3. राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ15-3/7/10-3, दिनांक 26.6.2008 द्वारा किसानों की फसल को वन्य प्राणियों द्वारा पहुँचाई जाने वाली हानि का मुआवजा करने के आदेश निम्नानुसार प्रसारित किए गए हैं:-

वनों के अंदर या वन सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में वन्य प्राणियों द्वारा फसल हानि किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हानि का मुआवजा दिए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

(क) फसल हानि का आंकलन राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा क्षति का आंकलन कर दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण प्रभावित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाएगा एवं संबंधित वनमंडलाधिकारी को भुगतान हेतु राशि का विवरण प्रेषित किया जाएगा। तद्नुसार भुगतान संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रभावित व्यक्ति को किया जाएगा।

4. फसल हानि मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

(क) वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षति किए जाने पर प्रभावित व्यक्ति द्वारा फसल हानि होने पर 24 घंटे के अंदर आवेदन निकटतम राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार हानि का आंकलन राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवश्यक होने पर अधिकारियों द्वारा कृषि विभाग एवं वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की सेवाएं स्थ निरीक्षण हेतु प्राप्त की जा सकेंगी।

(ग) राजस्व अधिकारियों द्वारा हानि का आंकलन कर जिले के कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएबा, जिस पर कलेक्टर द्वारा हानि की राशि अन्य विवरण के साथ संबंधित वनमंडलाधिकारी को कलेक्टर से मुआवजा राशि संबंधी विवरण प्राप्त होने पर दिनांक से एक माह के भीतर तद्नुसार राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के सुसंगत अंश निम्नानुसार है :-

(क) फसल हानि के लिए आर्थिक अनुदान के मानदंड :

छः - क्रमांक 4 राजस्व परिपत्र आदेश क्र. एफ-1/2007/सात/स-3 भोपाल दिनांक 15.1.2011

क्र.	कुल खाते की धारित कृषि भूमि के आधार पर खातेदार/कृषक की श्रेणी	25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि	50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि
1	2	3	4
1.	लघु एवं सीमान्त कृषक-0 हे. से 2 हे. तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को	1 वर्षा आधारित फसल के लिए रुपये 3000/- (रुपये तीन हजार) प्रति हे.	1 वर्षा आधारित फसल के लिए रुपये 4500/- (रुपये चार हजार पाँच सौ) प्रति हे.
		2 सिंचित फसल के लिए रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) प्रति हे.	2 सिंचित फसल के लिए रुपये 8500/- (रुपये आठ हजार पाँच सौ) प्रति हे.
		3 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) प्रति हे.	3 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए रुपये 8500/- (रुपये आठ हजार पाँच सौ) प्रति हे.
		4 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए रुपये 8500/- (रुपये आठ हजार पाँच सौ) प्रति हे.	4 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए रुपये 11500/- (रुपये ग्यारह हजार पाँच सौ) प्रति हे.
2.	लघु एवं सीमान्त कृषक से विभिन्न कृषक-2 हे. से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले खातेदार को	1 वर्षा आधारित फसल के लिए रुपये 2250/- (रुपये दो हजार दो सौ पचास) प्रति हे.	1 वर्षा आधारित फसल के लिए रुपये 3400/- (रुपये तीन हजार चार सौ) प्रति हे.
		2 सिंचित फसल के लिए रुपये 3750/- (रुपये तीन हजार सात सौ पचास) प्रति हे.	2 सिंचित फसल के लिए रुपये 6000/- (रुपये छः हजार) प्रति हे.
		3 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए रुपये 3750/- (रुपये तीन हजार सात सौ पचास) प्रति हे.	3 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए रुपये 8000/- (रुपये आठ हजार) प्रति हे.
		4 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए रुपये 6400/- (रुपये छः हजार चार सौ) प्रति हे.	4 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए रुपये 8300/- (रुपये आठ हजार तीन सौ) प्रति हे.

(ख) फलदार पेड़, उन पर लगी फसलें, आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें तथा पान बरेजे आदि की हानि के लिए आर्थिक अनुसार सहायता के लिए मानदण्ड :-

छः - क्रमांक 4 राजस्व पुस्तक परिपत्र

क्र.	विवरण	25 से 50 प्रतिशत फसल हानि	50 प्रतिशत से अधिक फसल
1	2	3	4
1.	फलदार पेड़ या उन पर लगी फसलें (क्रमांक 2 में उल्लेखित बगीचे/फसलें छोड़कर)	रुपये 250/- (दो सौ पचास) प्रति पेड़	रुपये 350/- (तीन सौ पचास) प्रति पेड़
2.	संतरा, नीबू के बगीचे, पपीता, के‍ा, अंगूर, अनार आदि की फसलें	रुपये 5000/- (पाँच हजार) प्रति हे.	रुपये 7000/- (सात हजार) प्रति हे.
3.	पान बरेजे आदि की हानि के लिए	रुपये 16000/- (सोलह हजार) प्रति हे. या रुपये 400/- (चार सौ) प्रति पारी	रुपये 25000/- (पच्चीस हजार) प्रति हे. या रुपये 625/- (छः सौ पच्चीस) प्रति पारी

(1) उपर्युक्तानुसार देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल की क्षति हुई तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बारबर होगी, किन्तु देय राशि रुपये 500/- (पाँच सौ) के कम नहीं होगी।

(2) फसल हानि के लिए या फलदार पेड़, उन पर लगी फसलें, संतरा नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें या पान बरेजे आदि की हानि होने पर ऊपर वर्णित मानदण्ड के अनुसार संगणित आर्थिक अनुदान सहायता राशि दी जायेगी, किन्तु किसी भी खातेदार के ऐसी आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा रुपये 30000/- (तीस हजार) से अधिक नहीं होगी।

(3) कृषक का खातेदार होना आवश्यक नहीं है। अनुदान सहायता उस व्यक्ति को देय होगी जिसके द्वारा फसल बोई गई हो अर्थात् खातेदार यदि स्वयं खेती कर रहा है तो उसे अथवा उसकी सहमति से जो खेती कर रहा है, उसे अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

(4) "पान बरेजे की खेती के मामले में एक पारी से तात्पर्य है खेती में प्रयुक्त 250 वर्गमीटर भूमि अर्थात् 0.025 हे. भूमि।

जनहानि होने पर क्षतिपूर्ति

(1) घटना की सूचना निकटतम पुलिस अथवा वन अधिकारी को देना होगा जिसका निरीक्षण उनके द्वारा ही किया जायेगा।

(2) घटना के बारे में सक्षम शासकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

(3) प्राण हानि में मृतक के परिवार के सदस्यों से विधि मान्य उत्तराधिकारी को ही क्षतिपूर्ति प्रदान की जावेगी।

(4) यदि व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसका उपचार सक्षम चिकित्सा अधिकारी करेंगे तथा प्रमाण पत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति देय होगा। घायल व्यक्ति स्वयं क्षतिपूर्ति का अधिकारी होगा।

(5) यह क्षतिपूर्ति तब देय होगी नहीं यदि हमले के समय कथित व्यक्ति वन प्राणी अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध करने हेतु वन में प्रविष्ट हुआ था। किसी स्थल पर वन्य प्राणी संबंधी किसी नियम विरुद्ध कार्य में लिप्त था या सहायक था।

(6) मृत्यु होने की स्थति में अधिकतम 1000 रु. एक हजार तथा घायल होने की स्थिति में 500 रु. तत्काल अग्रिम परिक्षेत्र सहायक या उसे ऊपर के अधिकारी द्वारा धन राशि दी जा सकती है। जो बाद में समायोजित की जावेगी।

पशु हानि प्रकरणों की क्षतिपूर्ति

वन्य प्राणी शेर, तेन्दुआ तथा जंगली हाथियों द्वारा मवेशी मारे जाने पर शासन द्वारा निर्देशित शर्तों के अनुसार अधिकतम रु. 2000 दो हजार राशि क्षति पूर्ति देय है।

(1) घटना के 48 घंटे के अन्दर सूचना निकटतम वनाधिकारी वन कर्मचारी मौखिक रूप से दिया जाना आवश्यक है।

(2) मारे गये मवेशी को मारे जाने के स्थान से हटाया नहीं गया हो अथवा उसमें विष का लेप न किया गया हो।

(3) मवेशी मारे जाने के 6 दिन के अन्दर 10 कि.मी. की परिधि के अन्दर किसी भी शेर, तेन्दुआ की मृत्यु खाने से न हुई हो।

(4) मवेशी के वास्तविक मूल्य का सत्यापन ग्राम पटेल, सरपंच, पटवारी अथवा स्थानीय व्यक्तियों के पंचनाम से कराना होगा।

(5) मवेशी यदि प्रतिबन्धित वन क्षेत्र में चर रहा था तो क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती हैं।

(6) यदि मवेशी घायल होकर बच जाए और वापस आ जाए तो उसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती हैं।

(7) यदि शेर, तेन्दुआ को हमले पर भगा दिया गया हो और एक से अधिक मवेशी मारे गये हों तो केवल प्रथम मवेशी की क्षतिपूर्ति दी जायेगी, दूसरे और तीसरे की नहीं।

(8) पशु चिकित्सक का प्रमाण पत्र आवशयक है,

(9) मवेशी को शेर, तेन्दुआ द्वारा मारे जाने की घटना का सत्यापन वन विभाग के अधिकारी जो कि कम से कम परिक्षेत्र सहायक स्तर के हों, के द्वारा किया जाना चाहिये।

वनों से भटके हिंसक वन्य प्राणियों के गांवों के पास आने से उत्पन्न समस्या का निराकरण कई बार शेर, तेन्दुआ आदि वनों से भटक कर ग्रामों के पास और कभी-कभी गांवों के अन्दर आ जाते हैं। उत्सुकतावश और अज्ञानतावश लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती हैं तथा लोग वन्य प्राणियों को घेर लेते हैं, जिससे वन्य प्राणी को भागने का मौका नहीं मिल पाता। वन्य प्राणी अपने को घिरा पाकर अपने बचाव के लिये लोगों पर आक्रमण कर देता है कई बार गंभीर घटनाएँ हो जाती हैं। कई बार अनावश्यक रूप से वन्य प्राणी को मार दिया जाता है। इससे कानून का उल्लंघन तो होता ही है, साथ-साथ ग्रामीणों के जीवन को खतरा हो जाता है। किसी वन्य प्राणी को केवल इसलिए नहीं मारा जा सकता है कि वह ग्राम के पास आ गया था। वन्य प्राणी को मारने की अनुमति जारी करने का अधिकार केवल वन्य प्राणी अभिरक्षक को है।

भटके वन्य प्राणी से निपटने के लिये निम्न कार्यवाही की जाना चाहिये :

(1) वन्य प्राणी को अकेला छोड़ दीजिये, वह स्वयं भागने का प्रयत्न करेगा। उसके पास भीड़ मत इकट्ठा होने दीजिए, हांका करने से दुर्घटना हो सकती है। हिंसक प्राणी हो तो लोगों को घरों के अन्दर रहने को कहें।

(2) वन्य प्राणी अकेला होने पर अंधेरा होने पर निश्चित ही वन को लौट जावेगा।

(3) यदि प्राणी शांत बैठा है या छुपा है तो उसे हांकने या गोली मारने का प्रयत्न न करें। ऐसे में वह गोली मारने वाले या किसी व्यक्ति को घायल कर सकता है।

(4) वन्य प्राणी को पकड़ने हेतु वन विभाग/वन्य प्राणी विभाग से सम्पर्क करें।

(5) यदि वन्य प्राणी अपने आप जंगल न जावे, तो जंगल की दिशा छोड़कर तीन तरु से फटाके, हवाई फायर, ढोल आदि बजावें। स्थानीय अनुभवी व्यक्ति की सहायता लें।

(6) यदि भगाने की कोई विधि सफल न हो और वन्य प्राणी जन जीवन के लिए खतरा बन जावे तब वन अधिकारी को सूचना दे और उसके निर्देशानुसार कार्य करें।

(7) ध्यान रहे, घायल होने पर वन्य प्राणी अधिक हिंसक हो जाता है अतः कदापि बिना सोचे समझे गोली न चलाने। यह काम वन विभाग अनुभवी शिकारी आदि से सम्पन्न करावेगा।

(8) मौके पर भीड़ इकट्ठा न करें - जंगली पशु घातक होता है और गम्भीर वातावरण बन जाता है जिससे जनता, पुलिस, प्रशासन, वन विभाग, तथा वन्य पशु सभी कठिनाई में पड़ जाते हैं और इसके अच्छे परिणाम नहीं होते।